औद्योगिक विकास विभाग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

उत्तराखण्ड सरकार

- कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका
- प्रगति विवरण 2014-15
- आय-व्ययक अनुमान 2015-16
- कार्ययोजना एवं आउटकम बजट 2015-16

विषय सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
अध्याय–1	विभाग की संगठनात्मक संरचना	1–21
अध्याय–2	मुख्य योजनायें एवं कार्यकलाप तथा प्रगति सूचनायें	23–71
अध्याय–3	परिव्यय, प्राविधान, बजट, व्यय–2014–15	73–81
अध्याय–4	आय–व्ययक अनुमान– वर्ष 2015–16 (लेखाशीर्षकवार वर्ष 2014–15 के तुलनात्मक व्यय सहित)	83–104
अध्याय–5	आउटकम बजट एवं कार्य योजना वर्ष 2015–16	105–124

अध्याय-1

औद्योगिक विकास विभाग

औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, मुद्रण एवं लेखन, अवस्थापना विकास एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विनियमन तथा बृहत उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नांकित विभाग उत्तरदायी हैंः–

- भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई।
- लीथो प्रेस, रूड़की।
- सिडकुल/सीडा/वाणिज्य एवं टैक्सटाईल।
- सार्वजनिक उद्यम।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग तथा हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योगों के विकास एवं संवर्द्धन हेतु निम्नांकित विभाग/संस्थायें उत्तरदायी हैंः–

- उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, पटेलनगर, देहरादून।
- समस्त जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
- उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग के मुख्य कार्य

- **खनिज अन्वेषण कार्य**–खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है। अध्ययनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विश्लेषण, पेट्रोलोजिकल विश्लेषण आदि कराया जाता है। क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य

कर मानचित्र तैयार किये जाते हैं तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। उपरोक्त समस्त अध्ययनों तथा परीक्षणों में आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त इकाई के अन्तर्गत खनिज अन्वेषण का कार्य स्थगित है।

- **खनन प्रशासन कार्य–** खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है। निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। विभाग द्वारा खनिजों के परिहार स्वीकृत किये जाने से पूर्व तकनीकी परामर्श तथा खनिजों की खनन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

- **भूअभियांत्रिकीय कार्य–**भूअभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है। उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अतएव भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

- **पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना–** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 के नियम–5 के उपनियम (3) के अन्तर्गत जारी ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14–09–2006 के अनुसार खनिज क्षेत्रों को लीज/पट्टे पर नियमानुसार आवंटित किये जाने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रों में ई0आई0ए0 अध्ययन कर पर्यावरण समिति से अनुमति/ अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उत्तराखण्ड खनिज नीति–2011 के नियम–5 (4) के अनुसार सम्बन्धित खनन क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कार्य कराये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के नदी तल के 222 उपखनिज लॉटों का ई0आई0ए0 अध्ययन/ पर्यावरणीय स्वीकृति का कार्य नियमानुसार निजी फर्म/संस्था द्वारा कराया जा रहा है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त उक्त खनिज क्षेत्रों के नियमानुसार पट्टाधारकों को आवंटन के उपरान्त उनमें खनन संक्रियाओं के दौरान पर्यावरणीय मानिटरिंग कार्य कराया जायेगा। उक्त कार्यो के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग में ई0आई0ए0 सेल के गठन हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

- **खनन सर्विलांस योजना–** उत्तराखण्ड खनिज नीति–2011 के बिन्दु संख्या–6 (1) में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जाने के प्राविधान किये गये हैं। अवैध खनन/परिवहन से बढ़ रही उपखनिज की चोरी की शिकायतों एवं लगातार राजस्व में हो रहे नुकसान को रोकते हुये अपेक्षित राजस्व वृद्धि की प्राप्ति के दृष्टिगत विभाग द्वारा अपने स्तर से थर्ड पार्टी एसेसमेन्ट के सिद्धान्तों के आधार पर पायलैट प्रोजैक्ट के रूप में वर्तमान में राज्य सरकार की भूमि पर चल रहे 10 लॉटों (जनपद देहरादून, नैनीताल व चम्पावत) में से जनपद देहरादून में चालू 05 उपखनिज लॉटों तथा इसके सम्भावित 09 निकासी मार्गो में आधुनिक सर्विलांस स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
  - विभिन्न खनिज अन्वेषणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।
  - विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियांत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।
  - सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।
  - खनिज विकास एवं अन्वेषण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।
  - खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।
  - खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।
  - खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।
  - क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।
  - खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।
  - क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।
  - विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन संबंधित वादों को निस्तारित करवाना।
  - खनन प्रशासन संबंधी स्टाफ की प्रगति।
  - जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।

- खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।
- खनन कार्यों के संबंध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
- वार्षिक व पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।
- विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।
- विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14–09–2006 के क्रम में उत्तराखण्ड खनिज नीति–2011 के बिन्दु संख्या–5(4) के अन्तर्गत राज्य के खनन क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। उक्त के क्रम में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत वर्ष में कराये जाने वाले ई0आई0ए0/पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कार्य की रूपरेखा पंयवर्षीय/वार्षिक योजना तैयार किया जाना।
- उत्तराखण्ड खनिज नीति–2011 के बिन्दु संख्या–6 (1) में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जाने के प्राविधान के दृष्टिगत विभागीय आवश्यकता के अनुरूप खनन स्थलों व निकासी मार्गो/संवेदनशील क्षेत्रों में खनन सर्विलांस योजना के क्रियान्वयन हेतु पंयवर्षीय/वार्षिक योजना तैयार किया जाना।

2– राजकीय मुद्रणालय उत्तरांखण्ड, रुड़की के मुख्य कार्य

- राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांखण्ड, रूड़की, निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के नियन्त्रण में है, तथा उत्तरांखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के लिये उत्तरदायी है। यह राज्य सरकार का एक मात्र मुद्रणालय है।
- सरकारी साधारण तथा असाधारण गजट का प्रकाशन/मुद्रण/वितरण।
- उत्तराखण्ड सरकार का वार्षिक बजट/अनुपूरक बजट का मुद्रण एवं सम्पूर्ति।
- उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से कार्यालय में प्रयोग होने वाली प्रपत्रों /रजिस्टर का मुद्रण/निर्माण एवं परीक्षा में प्रयोग होने वाली सादी उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण कर राज्य के समस्त जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों को वितरण करना। प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा हेतु सादी उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रपत्रों का मुद्रण।

- राज्य निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण, प्रपत्रों/लिफाफों का मुद्रण एवं सम्पूर्ति। लोक सभा विधान सभा निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों का मुद्रण एवं सम्पूर्ति। उत्पादन मण्डी समिति निर्वाचन से सम्बन्धित मत पत्रों का मुद्रण एवं सम्पूर्ति।
- राज्य के समस्त विभागों जैसे सेवायोजन, विधिक माप विज्ञान, व्यापार कर, चिकित्सा, सिडकुल, परिवहन विभाग, निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, महालेखाकार, प्रपत्र तथा उनके द्वारा तैयार निर्देश/नीति प्रकाशनों का मुद्रण।
- पंजीकृत प्रपत्रों की श्रृंखला में कोषागार प्रान्तीय, विविध, एच0सी0जे0,पुलिस,भूलेख व जैड0ए0 से सम्बन्धित प्रपत्रों/रजिस्टर आदि का मुद्रण कर राज्य के सभी विभागों/कार्यालयों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क/सशुल्क आधार पर मांगानुसार मुद्रण कर सम्पूर्ति की जाती है।
- मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल से सम्बन्धित प्रपत्रों/लिफाफों व फाइल कवर का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- मा0 लोक आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन/रिपोर्ट का मुद्रण।
- सचिवालय में प्रयोग होने वाले प्रवेश पत्रों का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- उत्तराखण्ड विधान सभा–की कार्यवाहियों का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- सचिवालय से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जैसे चरित्र पंजिका, आई.ए.एस. ग्रेडेशन लिस्ट इत्यादि का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- शासन द्वारा जारी शासनादेशों का संकलन पुस्तकों का मुद्रण।

3– उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम लि. के मुख्य कार्य

- उद्योग स्थापना हेतु औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं प्रबन्धन।
- बृहद उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य।
- बृहद उद्योग की रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन हेतु बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित पैकेज का अनुश्रवण कार्य।
- औद्योगिक नीति के कियान्वयन में राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में कार्य।
- प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन का कार्य।
- निर्यात प्रोत्साहन एवं भारत सरकार के पैकेज के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य।

4– सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मुख्य कार्य

उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्रः

- भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लागू औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक नीति के निर्धारण हेतु राज्य सरकार को समय–समय पर समुचित प्रस्ताव एवं सुझाव प्रस्तुत करना।
- उद्योग क्षेत्र, जिनमें ग्रामीण एवं लघु उद्योग, हथकरघा, खनन और बृहत उद्योग सम्मिलित हैं, के विकास हेतु वार्षिक व पंचवर्षीय योजनायें तैयार कर योजना आयोग के स्तर पर प्रस्तुतिकरण।
- उद्योग निदेशालय, भूतत्व व खनिकर्म, राजकीय मुद्रणालय, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, सिडकुल तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के कार्यों/योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना, अनुमोदित बजट प्रस्तावों पर शासन से जारी स्वीकृतियों का निर्गमन तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित करना।
- एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था का क्रियान्वयन।
- राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के सचिवालयी कार्य।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के प्राविधानों का क्रियान्वयन, इस हेतु दिशा–निर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण।
- मध्यम उद्योग की रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन हेतु बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित पैकेज का अनुश्रवण कार्य।
- उद्यमिता विकास।
- पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के ऑकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा अनुप्रेषण।
- औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
- विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक विकास हेतु समन्वित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे सिडबी, एन0एस0आई0सी0, यू0एन0डी0पी0, नाबार्ड, सी0जी0एफ0टी0आई, से समन्वय तथा उनकी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।

- मेला/प्रर्दशनी/शो–रूम आदि के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का विपणन प्रोत्साहन।
- विभिन्न लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग कलस्टरों हेतु समन्वित विकास के कार्यक्रम।
- औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को विभिन्न सहूलियतों, सहायताओं, सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 का क्रियान्वयन।
- उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन नियमावली के तहत कार्य।
- औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं, जटिलताओं का निराकरण करना।
- स्थापित उद्योगों, विशेष रूप से ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को विपणन सहायता।
- औद्योगिक, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुर्नवासन का प्रयास।
- विभिन्न शोध–विकास संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश के औद्योगिक विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।
- उद्योग विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास।
- औद्योगिक श्रमिकों/प्रबन्धकों के लिए प्राथमिक जागरूकता हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का क्रियान्वयन।

<u>खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यः</u>

- प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों का आयोजन, उनका संगठन विकास एवं विधिनियम करना तथा अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- खादी के उत्पादों एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुये अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना तैयार कर कुटीर उद्योगों की स्थापना कर रोजगार उपलब्ध कराना।
- कच्चे माल तथा उपकरणों को जुटाने के लिये सुरक्षित भण्डार बनाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योगों में लगे हुये व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।
- खादी ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय–बिक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की गतिविधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योगी विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान सुझाना।
- खादी तथा ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कराना, उनके लिये सहायता देना तथा प्रोत्साहित करना।

उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के मुख्य कार्यः

- राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार की शीर्ष संस्था के दायित्वों का निर्वहन।
- राज्य सरकार द्वारा मेला एवं प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु नोडल एजेन्सी नामित।
- विकास आयुक्त(हथकरघा) एवं विकास आयुक्त(हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन।
- शिल्पों के विपणन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय शिल्प मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग।
- हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु **''हिमाद्रि''** शो–रूमों का संचालन।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन।

विभाग की संगठनात्मक संरचना

उद्योग निदेशालय की स्वीकृत पद संरचना

पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड–पे (रू0 में)	स्वींत पदों की संख्या
उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड पदेन			
अपर निदेशक उद्योग	37400–67000	8700	01
संयुक्त निदेशक उद्योग	15600–39100	7600	02
उप निदेशक उद्योग	15600–39100	6600	02
सहायक निदेशक उद्योग	15600–39100	5400	06
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	01
अपर सांख्यकीय अधिकारी	9300–34800	4600	02
प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	02
वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800	4600	01
सहायक सांख्यकीय अधिकारी	9300–34800	4200	04
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	01
लेखाकार	9300–34800	4200	03
प्रधान सहायक	9300–34800	4200	03
वैयक्तिक सहायक	5200–20200	2800	02
वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	05
कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	05
वाहन चालक	5200–20200	1900	04
अनुसेवक सह परिचर एवं चौकीदार	4440–7440	1300	14
योग :–			**58**

जनपद स्तरीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण

पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड–पे (रू0 में)	पद													
			देहरादून	हरिद्वार	पौड़ी	उधमसिंहनगर	नैनीताल	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	चम्पावत	बागेश्वर	चमोली	रूद्रप्रयाग	उत्तरकाशी	टिहरी	पदवार योग
महाप्रबन्धक	15600–39100	6600	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
प्रभारी महाप्रबन्धक	15600–39100	5400	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**8**
प्रबन्धक	15600–39100	5400	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**18**
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
अपर सांख्यकीय अधिकारी	9300–34800	4600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800	4600	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800	4200	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**18**
वरिष्ठ लेखा परीक्षक	9300–34800	4200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
सहायक प्रबन्धक	9300–34800	4200	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	**44**
सहायक विकास अधिकारी (प्रथम)	9300–34800	4200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
सहायक विकास अधिकारी (द्वितीय)	5200–20200	2800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
प्रधान सहायक	9300–34800	4200	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**16**
वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	3	2	3	2	3	2	2	1	1	2	1	2	2	**26**
वैयक्तिक सहायक	5200–20200	2800	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**
सहकारी पर्यवेक्षक	5200–20200	2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	4	2	3	4	3	2	2	1	1	2	1	2	2	**29**
वाहन चालक	5200–20200	1900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
अनुसेवक / चौकीदार	5200–20200	1800	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	**31**
अनुसेवक सह परिचर	5200–20200	1800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**13**
चौकीदार (औद्योगिक आस्थान) कुल स्वीकृत पद. पदवार योग में दर्शाये गये हैं।	5200–20200	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31**
जनपदवार योग :–			**31**	**28**	**31**	**32**	**31**	**22**	**22**	**20**	**20**	**22**	**20**	**22**	**22**	**353**

राजकीय डिजाइन केन्द्र, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर हेतु स्वीकृत पद

क0 सं0	पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड–पे (रू0 में)	स्वीकृत पद
1.	प्रभारी परियोजना अधिकारी	9300–34800	4200	01
2.	आर्ट डिजाईनर	9300–34800	4200	01
3.	डिजाइन आर्टिस्ट	9300–34800	4200	01
4.	डाईंग अधीक्षक	5200–20200	2800	01
5.	मास्टर डायर	5200–20200	2800	01
6.	परीक्षक छपाई	5200–20200	2800	01
7.	परीक्षक वस्त्र	5200–20200	2800	01
8.	मास्टर वीवर	5200–20200	2800	01
9.	सीनियर इन्ट्रेक्टर	5200–20200	2400	01
10.	मास्टर स्क्रीन प्रिटिंग	5200–20200	2400	01
11.	क्राफ्टमैन	5200–20200	2000	01
12.	पर्यवेक्षक	5200–20200	2000	02
13.	मशीनिस्ट / मिस्त्री	5200–20200	2000	01
14.	व्यूवर	5200–20200	1900	02
15.	व्यायलर मैन	5200–20200	1900	01
16.	वाहन चालक	5200–20200	1900	01
17.	तकनीकी सहायक	5200–20200	1800	02
18.	रंगाई सहायक	5200–20200	1800	01
19.	अर्दली / चपरासी	4440–7440	1300	02
20.	चौकीदार / अनुसेवक	4440–7440	1300	02
	योग :–			**25**

अन्य विभागीय योजनाओं हेतु स्वीकृत पद

क्र0 सं0	पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड–पे (रू0 में)	स्वीकृत पद
1.	आफिसर इन्चार्ज	9300–34800	4200	1
2.	फोरमैन	9300–34800	4200	2
3.	सहायक प्रबन्धक, औद्योगिक आस्थान	5200–20200	2800	4
4.	उत्पादन अधीक्षक	5200–20200	2800	1
5.	डिजाइनर	5200–20200	2800	1
6.	मास्टर क्राफ्ट्समैन	5200–20200	2800	1
7.	वरिष्ठ प्रशिक्षक	5200–20200	2800	6
8.	प्रशिक्षक सिलाई	5200–20200	2000	1
9.	पॉलिशर अनुदेशक	5200–20200	2000	1
10.	कनिष्ठ शिक्षक सिलाई	5200–20200	1900	2
11.	मास्टर क्राफ्ट्समैन	5200–20200	1900	4
12.	मशीन इन्चार्ज	5200–20200	1900	4
13.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	5200–20200	1800	8
	योगः–			**36**

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के मुख्यालय हेतु स्वीकृत पद संरचना

क्र0 सं0	पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड(रू0 में)	सादृश्य ग्रेड–पे (रू0 में)	स्वीकृत कुल पदों की संख्या
1.	अपर निदेशक	37400–67000	8700	01
2.	संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान	15600–39100	7600	01
3.	संयुक्त निदेशक खनन/मुख्य खान अधिकारी	15600–39100	7600	01
4.	ज्येष्ठ खान अधिकारी/उपनिदेशक खनन	15600–39100	6600	03
5.	रसायनज्ञ	15600–39100	6600	01
6.	सहायक भूवैज्ञानिक	15600–39100	5400	02
7.	सहायक रसायनज्ञ	15600–39100	5400	02
8.	सहायक भू–भौतिकविद	15600–39100	5400	01
9.	सहायक भू–रसायनज्ञ	15600–39100	5400	01
10.	अधिकारी सर्वेक्षक	15600–39100	5400	01
11.	प्राविधिक सहायक भू–विज्ञान	9300–34800	4200	02
12.	प्राविधिक सहायक फोटो जियोलोजी	9300–34800	4200	01
13.	प्राविधिक सहायक (रसायन)	9300–34800	4200	02
14.	प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी	9300–34800	4200	01
15.	वरिष्ठ मानचित्रकार	9300–34800	4200	01
16.	खान निरीक्षक	9300–34800	4200	12
17.	वेधक	9300–34800	4200	02
18.	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4200	04
19.	लाइब्रेरियन	9300–34800	4200	01
20.	सर्वेक्षक	5200–20200	2800	02
21.	वरिष्ठ सहायक/मुख्य सहायक	5200–20200	4200	04
22.	मानचित्रकार	9300–34800	2400	03
23.	वेधन सहायक	5200–20200	2000	04
24.	वेधन आपरेटर	5200–20200	1900	06
25.	मैकेनिक	5200–20200	1900	04
26.	जैक हैमर ड्रिलर	5200–20200	1900	01

27.	लेखा लिपिक	5200—20200	2000	01
28.	रोकड़िया	5200—20200	2400	01
29.	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	2000	06
30.	आशुलिपिक	5200—20200	2800	03
31.	सहायक भण्डारी	5200—20200	1900	01
32.	चालक	5200—20200	1900	03
33.	सेक्शन कटर	5200—20200	1800	01
34.	प्रयोगशाल परिचर	5200—20200	1800	02
35.	चपरासी	5200—20200	1800	04
36.	खनिज आंकिक	5200—20200	2400	01
	योग			**87**

जनपदों में कार्यरत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की पद संरचना

क्र0 सं0	पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड पे (रू0 में)	स्वीकृत कुल पदों की संख्या
01	भूवैज्ञानिक	15600—39100	6600	06
02	सहायक भूवैज्ञानिक	15600—39100	5400	10
03	खान अधिकारी	15600—39100	5400	06
04	सर्वेक्षक	5200—20200	2800	06
05	प्रवर सहायक	5200—20200	2800	06
06	चालक	5200—20200	1900	06
07	फील्ड परिचर	4440—7440	1300	06
08	चौकीदार	4440—7440	1300	06
09	चेनमैन	4440—7440	1300	06
10	खनिज मोहर्रिर	5200—20200	1900	24
11	अनुसेवक	4440—7440	1300	12
	योग			**94**

राजकीय मुद्रणालय, रुड़की की स्वीकृत पद संरचना

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	सादृश्य ग्रेड पे (रू0 में)	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	अपर निदेशक	37400–67000	8700	01
2.	संयुक्त निदेशक	15600–39100	7600	01
3.	उप निदेशक	15600–39100	6600	01
4.	लेखाधिकारी	15600–39100	5400	01
5.	कार्मिक अधिकारी	15600–39100	5400	01
6.	सहायक लेखाधिकारी	9300–34800	5400	01
7.	सहायक निदेशक (मुद्रण)	9300–34800	4200	02
8.	सुरक्षा अधिकारी	9300–34800	5400	01
9.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	01
10.	मुद्रण ओवरसियर	9300–34800	4200	01
11.	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	11
12.	फोरमैन आफसैट	9300–34800	4200	03
13.	फोरमैन कम्पोजिंग	9300–34800	4200	01
14.	फोरमैन बाईन्ड्री	9300–34800	4200	01
15.	फोरमैन वर्कशाप	9300–34800	4200	01
16.	प्रधान रीड़र	9300–34800	4200	01
17.	आशुलिपिक	5200–20200	2800	02
18.	प्रधान सहायक	5200–20200	4200	11
19.	सहायक फोरमैन आफसैट	5200–20200	2800	02
20.	सहायक फोरमैन बाईन्ड्री	5200–20200	2800	03
21.	सहायक फोरमैन वर्कशाप	5200–20200	2800	01
22.	आफसैट मशीन मैन ग्रेड़–1	5200–20200	2800	02
23.	आफसैट मशीन मैन ग्रेड़–2	5200–20200	2800	19
24.	अवर अभियन्ता इलैक्ट्रानिक्स	5200–20200	2800	01
25.	कैमरा मैन	5200–20200	2800	03
26.	डी.टी.पी. आपरेटर	5200–20200	2800	10
27.	वरिष्ट सहायक	5200–20200	2800	19
28.	आफसैट प्लेट मैकर	5200–20200	2400	06
29.	मशीन सहायक आफसैट	5200–20200	2400	32
30.	ड्राफ्समैन अर्ह	5200–20200	2400	02

31.	डार्करूम सहायक/प्रोसेसर आपरेटर	5200–20200	2400	05
32.	रीड़र	5200–20200	2400	06
33.	रिवाईजर	5200–20200	2400	04
34.	मैकेनिक मुद्रण एवं जिल्दसाजी	5200–20200	2400	06
35.	इलैक्ट्रीशियन	5200–20200	2400	03
36.	बाईन्ड़र	5200–20200	2400	36
37.	वाउचर सहायक आफसैट	5200–20200	2400	01
38.	वाउचर सहायक बाईन्ड्री	5200–20200	2400	01
39.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	20
40.	लारी ड्राईवर (भारी)	5200–20200	1900	01
41.	सहायक प्लेट मैकर	5200–20200	1900	08
42.	आफसैट मशीन परिचर	5200–20200	1900	03
43.	कापी होल्ड़र	5200–20200	1900	06
44.	सहायक इलैक्ट्रीशन/आर्मे0 बाईन्ड़र	5200–20200	1900	03
45.	मशीन सहायक लैटर प्रेस*	5200–20200	1900	12
46.	मोनो कास्टर*	5200–20200	1900	02
47.	डिस्ट्रीब्यूटर*	5200–20200	1900	04
48.	सहायक जिल्दसाज	5200–20200	1900	32
49.	कारपेन्टर	5200–20200	1900	01
50.	सहायक मैकेनिक वर्कशाप	5200–20200	1900	01
51.	काउन्टर/श्रमिक	4440–7440	1800	28
52.	पैकर	4440–7440	1800	08
53.	गेट जमादार	4440–7440	1800	01
54.	फाउण्ड्री सहायक	4440–7440	1800	04
55.	ट्यूबवैल आपरेटर	4440–7440	1800	03
56.	चपरसी/अर्दली	4440–7440	1800	06
57.	कुली/श्रमिक	4440–7440	1800	17
58.	स्वच्छकार	4440–7440	1800	04
59.	गेटमैन	4440–7440	1800	05
60.	लारी क्लीनर	4440–7440	1800	01
	योग			**374**

टिप्पणीः– उपर्युक्त स्वीकृत पदों में तारांकित * पद मृत घोषित हैं, जो कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति उपरान्त समाप्त हो जायेंगे।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्वीकृत पदों का विवरण

बोर्ड मुख्यालय हेतु स्वीकृत पद

क्र0सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	आई0ए0एस0 / वरिष्ठ पी0सी0एस0	—	01
2.	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पी.सी.एस	पी0सी0एस0	—	01
3.	वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी	वित्त एवं लेखा सेवा	—	01
4.	संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15600—39100	5400	01
5.	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15600—39100	5400	02
6.	सह निदेशक उद्योग (ऊन)	15600—39100	5400	01
7.	लेखाधिकारी (वित्त लेखा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर)	15600—39100	5400	01
8.	वैयक्तिक सहायक	9300—34800	4200	01
9.	लेखा निरीक्षक	9300—34800	4200	01
10.	प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय	9300—34800	4200	01
11.	डाटा आपरेटर / आशुलिपिक	9300—34800	4200	01
12.	आंकिक / प्रवर सहायक	5200—20200	2400	03
13.	आशुलिपिक / डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200—20200	2400	01
14.	सांख्यकी	5200—20200	2400	01
15.	कनिष्ट सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर	5200—20200	1900	04
16.	ड्राईवर	5200—20200	1900	05
17.	अनुसेवक	5200—20200	1800	04
18.	सफाई नायक	5200—20200		—
योग :—				**30**

2. प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी व कालाढुँगी :

क्र0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	प्रशिक्षक	9300–34800	4200	04
2.	वरिष्ठ लिपिक	5200–20200	2400	02
3.	लिपिक	5200–20200	1900	02
4.	अनुसेवक	5200–20200	1800	02
5.	सफाई नायक	5200–20200	1800	02
योग :–				**12**

3 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय, पौड़ी व कालाढुंगी :

क्र0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	परिक्षेत्रीय अधिकारी / प्राचार्य	–	–	पदेन
2.	आशुलिपिक / डाटा आपरेटर	9300–34800	4200	02
3.	प्रवर सहायक	5200–20200	2400	02
4.	वरिष्ठ लेखा निरीक्षक	5200–20200	2800	02
5.	कनिष्ठ लेखा निरीक्षक	5200–20200	1900	02
6.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	1900	02
7.	चालक	5200–20200	1900	02
8.	अनुसेवक	5200–20200	1800	02
योग :–				**14**

4. जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों में स्वीकृत पद :

क्र0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	15600–39100	5400	13
2.	विकास अधिकारी	9300–34800	4200	13
3.	सहायक विकास अधिकारी	5200–20200	2800	13
4.	आंकिक	5200–20200	2400	13
5.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	5200–20200	1900	13
6.	अनुसेवक	5200–20200	1800	13
योग :–				**78**

5. लोक वस्त्र इकाई जसपुर में स्वीकृत पद :

क्र0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	तकनीशियन	9300–34800	4200	01
2.	वरिष्ठ लिपिक	5200–20200	2400	01
3.	मैकेनिक/इलैक्ट्रीशियन	5200–20200	2000	01
4.	लिपिक/स्टोर कीपर	5200–20200	1900	01
5.	अनुसेवक	5200–20200	1900	02
6.	सफाई नायक	5200–20200	1900	–
योग :–				**06**

6– क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) – 03 कार्यालय (चम्बा, श्रीनगर एवं अल्मोड़ा)

क्र0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	डिजाईनर/आफीसर इंचार्ज	9300–34800	4200	01
2.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा, श्रीनगर एवं अल्मोड़ा	9300–34800	4200	03
3.	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	03
4.	प्रवर सहायक	5200–20200	2400	03
5.	कनिष्ठ लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर	5200–20200	1900	03
6.	ड्राईवर	5200–20200	1900	03
7.	अनुसेवक	5200–20200	1900	03
8.	सफाई नायक	5200–20200	1900	–
योग :–				**19**

7– फिनिशिंग प्लाण्ट

क्र0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	फोरमैन	5200–20200	2800	02
2.	इलैक्ट्रीशियन	5200–20200	2000	02
3.	ब्वाइलर मैन	5200–20200	1800	02
योग :–				**06**

8– कार्डिंग प्लाण्ट

क्र0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	फिटर कम इलैक्ट्रीशियन	5200–20200	1900	03

9– बिक्री भण्डार

क0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	बिक्री कर्ता	5200–20200	1900	10
2.	बिक्री सहायक	5200–20200	1800	10
योग :–				**20**

10– उत्पादन केन्द्र

क0 सं0	पदनाम	छठा वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
1.	अधीक्षक उत्पादन	5200–20200	2800	08
2.	सहायक अधीक्षक उत्पादन	5200–20200	2800	07
3.	बुनाई शिक्षक	5200–20200	2000	10
4.	रंगाई शिक्षक	5200–20200	1900	03
5.	कताई पर्यवेक्षक	5200–20200	1800	07
6.	कताई शिक्षक	5200–20200	1800	13
7.	अनुसेवक	5200–20200	1800	12
योग :–				**60**

अध्याय-2

राज्य के औद्योगिक विकास का वर्तमान परिदृश्य

नवम्बर, 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य का यह भू–भाग वास्तविक रूप से **''शून्य उद्योग''** क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं थे, जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने से निवेशकों का निवेश हेतु आकर्षित न होना था। उत्तराखण्ड राज्य के लिए घोषित **विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज** जनवरी, 2003 से लागू किये जाने के फलस्वरूप, राज्य में औद्योगिकीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ है।

राज्य में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई है और इस समय देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड के उत्पाद राज्य में बन रहे हैं। अधिकतर औद्योगिक समूहों का मानना है कि उत्तराखण्ड राज्य का औद्योगिक वातावरण सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिये इन उद्योग समूहों द्वारा लगातार अपने निवेश में बृद्धि की जा रही है। **भारत सरकार द्वारा विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना की वैधता अवधि 7 जनवरी, 2013 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 तक कर दी गई है।**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र किसी भी राज्य तथा सम्पूर्ण देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र उद्यमिता की नर्सरी है, जो प्रायः व्यक्तिगत रचनात्मकता और सृजनशीलता से प्रेरित रहती है। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की सहभागिता है, जिसमें से 45 प्रतिशत विनिर्माणक उत्पाद का एवं 40 प्रतिशत इसके निर्यात का है।

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा क्षेत्र के समन्वित एवं समावेशी विकास के लिये वर्ष 2008 में **''विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008''** प्रख्यापित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य

प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उद्यमिता को अभिप्रेरित करते हुये उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था, ताकि रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जाना सम्भव हो सके। इस नीति में वर्ष 2011 में कतिपय संशोधन भी किये गये।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के लिये **''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति''** प्रख्यापित की गई है। इस नीति में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिये स्वीकृत विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं को और भी अधिक आकर्षक बनाया गया है।

मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 मंत्री जी एम.एस.एमई. नीति पुस्तिका का विमोचन करते हुये

अवस्थापना विकासः

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व राज्य में उद्योग विभाग/यूपीएसआईडीसी द्वारा 2133.83 एकड़ भूमि में 47 बृहत/मिनी औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये थे, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	औद्योगिक आस्थान	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थान	31	165.77
2.	यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र	16	1968.06
	योगः	**47**	**2133.83**

यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की भौतिक परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण सिडकुल को हो चुका है तथा यह औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में सिडकुल के नियंत्रणाधीन हैं।

उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबन्धन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये वर्ष 2003 में सिडकुल का गठन किया गया। सिडकुल द्वारा अब तक 7439 एकड़ भूमि पर निम्नांकित औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई हैः–

क्र.सं.	जनपद	औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र	भूमि (एकड़ में)
1.	देहरादून	**फार्मासिटी, सेलाकुई**	50
		आई.टी.पार्क, सहत्रधारा रोड	67
2.	हरिद्वार	**एकीकृत औद्योगिक आस्थान, बी.एच.ई.एल., हरिद्वार**	1695
3.	ऊधमसिंह नगर	**एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पंतनगर**	3234
		एल्डिको सिडकुल औद्योगिक आस्थान, सितारगंज	1093
		सितारगंज, सिडकुल फेज–2	1200
4.	पौड़ी	**विकास केन्द्र, सिगड्डी, कोटद्वार**	100
		कुलः–	**7439**

सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में भूमि की उपलब्धता सीमित होने के कारण अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उद्योगों के लिये भूमि की सुनिश्चितता के लिये राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को भी औद्योगिक आस्थानों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

कुल **3262.34 एकड़ भूमि पर 48 निजी औद्योगिक आस्थान** प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निजी उद्यमियों द्वारा विकसित किये गये हैं।

बड़े निवेशकों को भूमि की उपलब्धता में सहयोग करने के लिये भारत सरकार से विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि में रू. 50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की बृहत परियोजनाओं (Mega Projects) की स्थापना के लिये आवश्यकता के अनुरूप भूमि क्रय करने की सुविधा देने तथा विशेष पैकज की अनुमन्यता के लिये दिसम्बर, 2006 में विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने की नीति घोषित की गई, जिसके तहत **422.72 एकड़ भूमि विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में 24 बृहत परियोजनाओं** के लिये अधिसूचित किये गये हैं।

सिडकुल द्वारा वर्ष 2014–15 में किये गये मुख्य कार्य व उपलब्धियॉ

- सिडकुल द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास हेतु एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पन्तनगर, ग्रोथ सेन्टर, कोटद्वार, फार्मासिटी सेलाकुई, देहरादून, आई0टी0पार्क, देहरादून तथा संयुक्त उपक्रम एल्डिको सिडकुल इन्डस्ट्रीयल पार्क लि0(ई0एस0आई0पी0एल0) सितारगंज में अवस्थापना विकास कार्य कराये गये। वर्तमान में सितारगंज में लगभग 1660 एकड़ भूमि पर सिडकुल फेज–2 तथा एस्कोर्ट फार्म काशीपुर में 300 एकड़ के विकास का कार्य किया जा रहा है।
- शासन द्वारा मैगा टैक्सटाईल पॉलिसी की स्वीकृति के पश्चात काशीपुर एवं जसपुर में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में (माह फरवरी, 2015 तक) सिडकुल द्वारा विभिन्न मदों में लगभग रू0 102.96 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की गई। कुल राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष अवस्थापना विकास एवं अन्य कार्यों में व्यय लगभग रू0 270.05 करोड़ का व्यय किया गया। सिडकुल द्वारा वित्तीय वर्ष में कुल रू0 128.18 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई।
- यूपीएसआईडीसी से प्राप्त औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना विकास सुविधाओं के जीर्णोद्धार हेतु लगभग रू0 39.78 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
- कोन्कर लि0 के साथ ज्वाइंट वेचर स्थापित कर लाजिस्टिक हब के अन्तर्गत पंतनगर में रेलवे यार्ड की स्थापना का कार्य प्रगति में है तथा हरिद्वार में प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है। पंतनगर

में ज्वाइंट वेचर द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसपर लगभग रू0 100 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

- सिडकुल के समस्त औद्योगिक आस्थानों में मुख्य मार्गों में प्रकाश व्यवस्था एवं बिजली की खपत कम करने हेतु एल ई डी लाइटें पर लगाई गयी हैं।
- स्मार्ट सिटी कान्सेप्ट आई.आई.ई. हरिद्वार में प्रयोगिक तौर में क्रियान्वयन किया जा चुका है तथा शेष औद्योगिक आस्थान में स्मार्ट सिटी सॉफ्टवेयर लागू करने की प्रक्रिया गतिमय है।
- सीडा निदेशक मण्डल द्वारा सिडकुल के समस्त औद्योगिक आस्थानों के मास्टर प्लान आवश्यक संशोधन करते हुए स्वीकृत किये गये हैं। उद्योगों को विस्तारकरण के फलस्वरूप मिलने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम में संशोधन किये गये। जिससे उद्योगों को विस्तारीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें एफ ए आर एवं ग्राउन्ड कवरेज में वृद्धि की गई है। तथा वृद्धि किए गये क्षेत्र का उद्यमी को वर्तमान दर से सिडकुल को भुगतान करना होगा। तद्नुसार संशोधित GIDCR 2012 प्रकाशित की गई।
- सिडकुल द्वारा औद्योगिक आस्थानों मे मूलभूत सुविधायें यथा सड़के, बिजली, CETP, नालियॉ, आवासीय सुविधा, होटल एवं व्यवसायिक केन्द्र, ESI चिकित्सालय हेतु भूमि अग्निशमन केन्द्र एवं पुलिस चौकी इत्यादि उपलब्ध करायी जा रही है।
- एस्कार्ट फार्म में लगभग 200 एकड़ भूमि आई.आई.एम. को आवंटित कर दी गई है। शेष भूमि पर नालेज हब/प्रदूषण रहित उद्योग विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- मदन नेगी टिहरी गढ़वाल में सिडकुल तथा जायका के मध्य संयुक्त उपक्रम गठित कर Eco Tourism पद्धति पर आधारित रोजगारोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है, ताकि टिहरी बांध के कारण विस्थापित लोगों में Skill Development कराते हुए क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के सुअवसर प्रदान किये जा सके।
- आई.टी.पार्क से लगती हुई लगभग 34 एकड़ भूमि में सिटी पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। तथा अवशेष भूमि सिडकुल द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित रखा जाना प्रस्तावित है।
- औद्योगिक आस्थान पन्तनगर में कल्याणी नदी को चैनेलाइज कर लगभग 50 एकड़ भूमि उद्योगों हेतु प्राप्त की जा रही है। इसी चैनललाईसेशन के माध्यम से प्राप्त भूमि में सिटी पार्क की स्थापना का कार्य गतिमान है।

सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति

मद	आई0 आई0 ई0 हरिद्वार	पंतनगर उधमसिंह नगर	फार्मासिटी सेलाकुई, देहरादून	ग्रोथ सेन्टर, सिगड्डी कोटद्वार	आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	सितारगंज उधम सिंह नगर ई. एस.आई. पी.एल.	सितार गंज सिडकुल फेज–2	योग
कुल लगभग एरिया (एकड़ में)	1695	3234	50	100	67	1093	1200	**7439**
कुल इकाईयाँ	722	535	36	118	53	363	2	**1829**
उत्पादनरत इकाईयाँ (संख्या)	549	462	31	23	14	117	0	**1196**
पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	6425	9092.93	250	481.06	575.86	2200	920	**19944.85**
रोजगार (संख्या)	69135	66814	2379	4774	11375	8500	2747	**165724**

सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानें में स्थापित औद्योगिक इकाईयॉ

औद्योगिक पूंजी निवेश के इच्छा पत्र
(Industrial Investment Intentions)

अगस्त, 1991 से जनवरी, 2003 तक भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड के लिए जारी उद्यमी औद्योगिक ज्ञापन (IEM)/लैटर ऑफ इन्टेन्ट (LOI) की कुल संख्या **341** थी, जिनमें रू. **6,382** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **60,345** का रोजगार प्रस्तावित था, प्राप्त हुये थे।

जनवरी, 2003 से जनवरी, 2015 तक 2,150 उद्यमी औद्योगिक ज्ञापन (IEM)/लैटर ऑफ इन्टेन्ट (LOI) उत्तराखण्ड के लिए जारी किये गये हैं, जिनमें रू. **80,615** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **4,10,465** लोगों को रोजगार प्रस्तावित है।

वर्षवार स्थिति

क्रं.सं.	वर्ष	आई.ई.एम./ एल.ओ.आई.	प्रस्तावित निवेश (करोड रूपये में)	प्रस्तावित रोजगार
1	अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 2002 तक	341	6382.00	60345
	योग–	**341**	**6382.00**	**60345**

विशेष पैकेज के पश्चात्

1	जनवरी, 2003 से मार्च, 2004 तक	149	1425.00	22407
2	मार्च, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक	126	4126.00	22349
3	जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक	343	5209.00	66080
4	जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक	467	13756.00	79302
5	जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक	117	8367.00	33435
6	जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक	150	6115.00	29102
7	जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक	165	9293.00	48338
8	जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक	217	7997.00	34901
9	जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक	80	6877.00	20152
10	जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक	134	13270.00	20224
11	जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक	158	2012.00	23240
12	जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक	44	2168.00	10935
	योग–	**2150**	**80615.00**	**410465**

उक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 में **माह फरवरी, 2014 तक 14111** उद्योग की इच्छा हेतु उद्यमी ज्ञापन–1 (Entrepreneurs Memorandum Part-1) प्रदेश के जिला उद्योग केन्द्रों में फाईल किये गये है, जिनमें रूपया **10,262.42** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **1,92,607** लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, विकास एवं संवर्द्धन तथा इन उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (The Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006), भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम भारत के राजपत्र दिनांक 16 जून, 2006 मे प्रकाशित हुआ है तथा अधिनियम के प्राविधान दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 से प्रवर्त हो गये हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग शब्द के स्थान पर उद्यम (Enterprises) शब्द का प्रयोग किया गया है तथा कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों को **''सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम''** के रूप में नये सिरे से परिभाषित किया गया है।

उद्यमों को दो श्रेणियों में निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:–

1–निर्माण एवं उत्पादन में संलग्न उद्यम (Manufacture Enterprises)		
		प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा
•	सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)–	रु. 25 लाख तक
•	लघु उद्यम (Small Enterprises)–	रु. 25 लाख से रु. 5 करोड़ तक
•	मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)–	रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ तक

2–सेवा क्षेत्र में संलग्न उद्यम (Service Enterprises)		
		उपकरणों में निवेश की सीमा
•	सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)–	रु. 10 लाख तक
•	लघु उद्यम (Small Enterprises)–	रु. 10 लाख से रु. 2 करोड़ तक
•	मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)–	रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ तक

वर्तमान में लागू एस.एस.आई. पंजीकरण के स्थान पर दो भागों में औद्योगिक उद्यमी मेमोरेण्डम फाइल करने की व्यवस्था अधिनियम में की गई है। कोई व्यक्ति या उद्यमी, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम स्थापित करने का आशय रखता हो, सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास, यथास्थिति सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम का ज्ञापन भाग–1 फाइल करेगा, परन्तु उस व्यक्ति या उद्यमी, जिसने उद्योग की स्थापना कर ली हो, द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उद्यमी ज्ञापन भाग–2 फाइल किया जायेगा। भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–का0आ01642(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2006 से अधिनियम की धारा–8 की उपधारा–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यों/संघ क्षेत्र के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति करते हुये उद्यमी ज्ञापन दाखिल किये जाने पर उसकी अभिस्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत किया गया हैं।

लघु उद्योगों की स्थापना

विकास आयुक्त, (एस0एस0आई0), लघु उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देशों के तहत राज्य में स्थापित होने वाले लघुत्तर तथा लघु उद्योगों का प्रस्तावित तथा स्थायी आधार पर एस0एस0आई0 पंजीयन किया जा रहा है। दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 प्रवर्त हो जाने के फलस्वरूप एस0एस0आई0 पंजीयन (SSI Registration) के स्थान पर दो भागों में Industrial Entrepreneur's Memorandum दाखिल/जारी करने की व्यवस्था राज्य में लागू की जा चुकी हैं।

प्रदेश में **वर्ष 2013–14** तथा **वर्ष 2014–15 में माह फरवरी, 2015 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम** के अन्तर्गत स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की इकाईयों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2013–14				वर्ष 2014–15			
		लक्ष्य	स्थापित इकाईयॉ	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	सृजित रोजगार	लक्ष्य	स्थापित इकाईयॉ	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	सृजित रोजगार
1.	नैनीताल	**185**	**185**	**41.04**	**1375**	**205**	**188**	**32.36**	**802**
2.	ऊधमसिंहनगर	**430**	**430**	**220.10**	**3077**	**455**	**418**	**207.66**	**2877**
3.	अल्मोड़ा	**115**	**115**	**13.26**	**366**	**130**	**119**	**8.55**	**376**
4.	पिथौरागढ़	**115**	**116**	**7.99**	**366**	**130**	**117**	**4.98**	**306**
5.	बागेश्वर	**85**	**85**	**4.68**	**206**	**95**	**89**	**8.48**	**237**
6.	चम्पावत	**85**	**85**	**7.03**	**264**	**95**	**88**	**9.50**	**247**
7.	देहरादून	**325**	**325**	**23.88**	**1273**	**340**	**313**	**14.22**	**1290**
8.	पौड़ी	**230**	**230**	**38.56**	**1037**	**255**	**235**	**21.30**	**762**
9.	टिहरी	**150**	**150**	**13.32**	**417**	**165**	**151**	**13.26**	**526**
10.	चमोली	**100**	**100**	**6.79**	**234**	**110**	**101**	**6.13**	**239**
11.	उत्तरकाशी	**100**	**100**	**7.12**	**346**	**110**	**110**	**12.01**	**391**
12.	रूद्रप्रयाग	**85**	**90**	**15.61**	**293**	**95**	**89**	**8.34**	**280**
13.	हरिद्वार	**455**	**458**	**223.39**	**3588**	**480**	**442**	**151.13**	**2776**
	योग :–	**2460**	**2469**	**622.77**	**12842**	**2665**	**2460**	**497.92**	**11109**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में 14,163 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयॉ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जिनमें रू0 700.29 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 38,509 लोगों को रोजगार उपलब्ध था। राज्य गठन के पश्चात् से **माह फरवरी, 2015 तक** 33,106 लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में स्थाई पंजीकरण तथा उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (E.M. Part-II) फाइल किये गये हैं, जिनमें रू0 8,648.48 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,95,061 लोगों को रोजगार दिया गया है। लघु स्तरीय उद्योग तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत/उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (E.M. Part-II) फाइल करने वाले उद्यमों का विवरण निम्नवत् हैः–

जनपद	दिनांक 8–11–2000 तक (राज्य गठन के समय) पंजीकृत कार्यरत् लघु स्तरीय उद्योग			राज्य गठन के पश्चात् दिनांक 9–11–2000 से माह फरवरी, 2015 तक पंजीकृत/ई.एम. पार्ट–2 फाईल करने वाले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम			कुल पंजीकृत/ई.एम.पार्ट–2 फाईल करने वाले सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम		
	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)
नैनीताल	816	3513	158.36	**2379**	**11468**	**438.978**	**3195**	**14981**	**597.338**
उद्यमसिंहनगर	804	4899	233.71	**4811**	**48600**	**3136.811**	**5615**	**53499**	**3370.521**
अल्मोड़ा	904	1846	17.78	**2352**	**4980**	**85.296**	**3256**	**6826**	**103.076**
पिथौरागढ़	534	1013	5.85	**1857**	**4977**	**43.637**	**2391**	**5990**	**49.487**
बागेश्वर	387	607	2.04	**879**	**1918**	**23.056**	**1266**	**2525**	**25.096**
चम्पावत	147	322	4.95	**917**	**2034**	**28.464**	**1064**	**2356**	**33.414**
देहरादून	2321	7232	88.01	**4510**	**35662**	**869.448**	**6831**	**42894**	**957.458**
पौड़ी	1720	4196	28.39	**3005**	**9029**	**199.800**	**4725**	**13225**	**228.190**
टिहरी	1025	2413	14.44	**2505**	**6347**	**130.182**	**3530**	**8760**	**144.622**
चमोली	844	1154	5.45	**1800**	**3662**	**50.592**	**2644**	**4816**	**56.042**
उत्तरकाशी	1734	2364	10.60	**1740**	**3662**	**45.121**	**3474**	**6026**	**55.721**
रूद्रप्रयाग	394	737	7.20	**999**	**2759**	**56.924**	**1393**	**3496**	**64.124**
हरिद्वार	2533	8213	123.51	**5352**	**59963**	**3540.175**	**7885**	**68176**	**3663.685**
योगः–	**14163**	**38509**	**700.29**	**33106**	**195061**	**8648.484**	**47269**	**233570**	**9348.774**

कार्यरत् बृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

प्रदेश में **माह फरवरी, 2015** तक कार्यरत् बृहत उद्योगों की संख्या **247** है, जिनमें **रू. 27,732.42** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **86,377** लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जनपदवार कार्यरत् स्थापित वृहत उद्योगों की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	जनपद	कार्यरत् इकाईयां		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू. में)	रोजगार
1.	देहरादून	15	342.34	3,968
2.	हरिद्वार	85	15,895.00	47,375
3.	ऊधमसिंहनगर	141	10,194.30	31,105
4.	नैनीताल	4	1,233.84	3,166
5.	पौड़ी	2	66.94	763
	योगः–	**247**	**27,732.42**	**86,377**

राज्य में कार्यरत बृहद उद्योगों की स्थिति

विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार
उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व (प्रारम्भ से 8–11–2000 तक)	39	5,547.55	27,946
उत्तराखण्ड राज्य बनने से अब तक (9–11–2000 से फरवरी, 2015 तक)	208	22,184.87	58,431
योगः–	**247**	**27,732.42**	**86,377**

औद्योगिक विकास हेतु संस्थागत व्यवस्था

1–एकल खिड़की व्यवस्था :

- शासनादेश संख्या–353/औ.वि.–1/उद्योग/2004–05 दिनांक 26 अगस्त, 2004 से एकल खिड़की सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञां के लिए आवश्यक सूचना, मार्ग–दर्शन, आवेदन–पत्रों की उपलब्धता तथा आवेदन–पत्रों के केन्द्रीय व समयबद्ध अनुश्रवण व निस्तारण सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया है। एकल खिड़की व्यवस्था को और प्रभावी बनाये जाने के लिये **उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम–2012** प्रख्यापित किया गया है।

2–उद्योग मित्र

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र :

- राज्य में उद्यमियों से सीधा संवाद स्थापित कर औद्योगिक विकास हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रदेश स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है।
- विभिन्न विभागों के मा. मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन और तीन प्रमुख औद्योगिक संगठनों व राज्य के तीन लीड बैंकों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि उद्योग मित्र के सदस्य नामित हैं।
- प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के सदस्य नामित हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों/विशेषज्ञों को भी नामित किया जा सकता है। यदि कोई उद्यमी अपनी समस्या को व्यक्तिगत रूप से उद्योग मित्र के समक्ष रखना चाहता है, तो उसे भी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उद्योग मित्र की बैठक में आंमत्रित किया जा सकेगा।
- राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक त्रैमास में एक बार आयोजित किये जाने का प्राविधान।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के कार्य :

राज्य स्तर पर उद्योग मित्र के कार्य निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं :–

- राज्य में होने वाले औद्योगिकीकरण एवं लम्बी अवधि से लम्बित मामलों की समीक्षा एवं उन पर निर्णय करना।
- नीति विषयक मामलों तथा उन उद्योगों की विशेष समस्याओं पर निर्णय किया जाना, जिनमें विभागीय स्तर पर अथवा औद्योगिक विकास परिषद में निर्णय सम्भव न हो सकें।
- राज्य में औद्योगिक रूग्णता को दूर करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करना एवं मार्ग निर्देशन प्रदान करना।
- औद्योगिक विकास में बाधक नियम, अधिनियम एवं शासनादेश जिनमें शिथिलीकरण की आवश्यकता हो, से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय करना।
- ऐसे बिन्दुओं/प्रस्तावों, जो औद्योगिक नीति में समाहित नहीं हैं, किन्तु उन्हें स्वीकार किया जाना औद्योगिक विकास के हित में हैं, पर विचार एवं निर्णय करना।

जनपद स्तरीय उद्योग मित्र :

- राज्य की औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन एवं जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श एवं नये उद्योगों/उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है।
- जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इसके सदस्य सचिव हैं।
- इसके अतिरिक्त समिति में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, अग्रणी बैंक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, पुलिस अधिक्षक, अग्निशमन अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी व अन्य आपेक्षित अधिकारी तथा दो औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सदस्य नामित किया गया है।
- उद्योग मित्र की बैठक देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर तथा नैनीताल जनपदों में प्रत्येक माह तथा शेष जनपदों में दो माह में एक बार आयोजित किये जाने का प्राविधान।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र के कार्य :

- जिला स्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर स्वीकृतियों को सम्बन्धित विभाग द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत जारी किये जाने की समीक्षा।
- समयान्तर्गत जारी न होने वाली स्वीकृतियों के सम्बन्ध में एकल मेज व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुये स्वीकृतियॉ जारी करना एवं समयबद्ध आधार पर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- जनपद के उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों की तथा व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना।
- आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर मामलों को सन्दर्भित करना।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने एंव लघु उद्योगों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये प्रेरित करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं उद्यमियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं और इसके आधार पर अपने उद्यम के चयन, सरलता पूर्वक स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना श्रोतों की जानकारी भी उन्हें मिलती है।

इस कार्यक्रम में निम्न अवयव सम्मिलित हैं :–

- विशिष्ट तकनीकी शोध, विकास एंव अन्य विशिष्ट संस्थाओं का समुचित सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अंग के अधीन जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों, सहायक प्रबन्धक स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- उद्यमियों तथा प्रशिक्षकों का फील्ड विजिट, जिसमें औद्योगिक दृष्टि से सफल औद्योगिक कलस्टरों एंव आदर्श उद्यमिता संस्कृति के क्षेत्रों का भ्रमण।
- जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमियों के लिये आवश्यक सामयिक साहित्य, सूचना एंव नवीनतम प्रशिक्षण तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किये जा रहे हैं–

दो दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम :

प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार तीन दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में 15–20 ब्यक्तियों के समूह में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

ये कार्यक्रम यथासम्भव किसी विशिष्ट उद्योग के लिये 15–20 उद्यमियों के समूह में आयोजित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रायः तकनीकी ज्ञान व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आयोजित किये जा रहे हैं। इन्हें विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं, जैसे आई0आई0टी0/इन्जिनियरिगं कालेज, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, ई0एस0टी0सी0, आदि अन्य विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से तथा जनपदों में योग्य एवं अनुभवी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार संपादित कराये जाने का प्राविधान रखा गया है।

चार साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान, इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ इण्टरप्रीनियरशिप गुवाहाटी, आसाम आदि से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में 20–25 ब्यक्तियों के समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्य में लगे फील्ड स्टाफ तथा जनपद के महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, अपर सांख्यकीय अधिकारी, सहायक प्रबन्धक एवं सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) आदि को प्रदेश में व प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्तर के उच्च कोटी तथा प्रबन्धकीय व तकनीकी संस्थाओं के अधीन उद्योगों की आधुनिक तकनीक व प्रबन्धन में प्रकिया संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे उद्यमियों को आधुनिक परिवेश में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न राजकीय अथवा प्रतिष्ठित संस्थान जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटरप्रिन्यौरशिप एण्ड स्माल विजनिस डवलपमेन्ट (NIESBUD) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग (NISIET) आदि तथा अन्य उपयोगी संस्थानों के तत्वाधान में आयोजित किये जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस वर्ष से प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (वर्ष 2014–15) माह फरवरी, 2015				
	कार्यक्रम			प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी
	दो दिवसीय	तीन साप्ताहिक	चार साप्ताहिक	
सामान्य	179	37	0	5237
स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान	45	11	1	1337
ट्राइवल सब प्लान	10	5	0	373
कुल योगः–	**234**	**53**	**1**	**6947**

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा क्षेत्र के समन्वित एवं समावेशी विकास के लिये वर्ष 2008 में **''विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008''** प्रख्यापित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उद्यमिता को अभिप्रेरित करते हुये उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था, ताकि रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जाना सम्भव हो सके। इस नीति में वर्ष 2011 में कतिपय संशोधन भी किये गये।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के लिये **''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति''** प्रख्यापित की गई है। इस नीति में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिये स्वीकृत विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं को और भी अधिक आकर्षक बनाया गया है।

वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिये चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण

विभिन्न सहायताओं एवं अनुदानों को मात्राकृत करने के लिये प्रदेश को निम्नानुसार 04 श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः–

श्रेणी	सम्मिलित / आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी– एः	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व **बागेश्वर** का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी– बी	● जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग। ● जनपद देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड। ● जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।
श्रेणी–सी	● जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्र तल से 650 मी0 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। ● जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड।
श्रेणी–डी	● जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र **(श्रेणी–बी व सी में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर)**

वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम

वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिये निम्नांकित गतिविधियॉ/क्रियाकलाप पात्र/अर्ह (Eligible) होंगेः–

श्रेणी–ए एवं बी

- हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्यम।
- विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योग/गतिविधियॉ।
- प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियॉ, यथाः कुक्कुट पालन तथा पर्यटन क्रियाकलाप।
- पूर्वात्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियॉः–
  - ➢ होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल, रोप–वे।
  - ➢ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम।
  - ➢ व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथाः होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।
- जैव प्रौद्योगिकी।
- संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियॉ।
- पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम।

- **श्रेणी–सी एवं डी में मात्र विनिर्माणक गतिविधियॉ।**

- **रीवर बेड मैटेरियल आधारित उद्योगों (स्टोन क्रेशर सहित) पर छूट/रियायतों का लाभ पूरे प्रदेश में अनुमन्य नहीं होगा।**

विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों की स्थिति

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2013–14			वर्ष 2014–15 (13 मार्च, 2015 तक)		
		स्थापित इकाईयॉ			स्थापित इकाईयॉ		
		निर्माण एवं उत्पाद उद्यम	सेवा क्षेत्र के उद्यम	कुल योग	निर्माण एवं उत्पाद उद्यम	सेवा क्षेत्र के उद्यम	कुल योग
1.	नैनीताल	62	1	63	13	3	16
2.	अल्मोड़ा	36	79	115	37	82	119
3.	पिथौरागढ़	101	15	116	88	29	117
4.	बागेश्वर	39	46	85	32	57	89
5.	चम्पावत	31	54	85	42	46	88
6.	देहरादून	8	30	38	28	18	46
7.	पौड़ी	49	181	230	45	190	235
8.	टिहरी	77	73	150	101	50	151
9.	चमोली	53	47	100	51	50	101
10.	उत्तरकाशी	25	75	100	15	95	110
11.	रूद्रप्रयाग	53	37	90	55	34	89
योग :–		**534**	**638**	**1172**	**507**	**654**	**1161**

योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में 1172 इकाईयॉ स्थापित की गईं, जिसमें रू0 148.90 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 4380 का रोजगार सृजित हुआ एवं वर्ष 2014–15 में **माह फरवरी, 2015 तक 1161** इकाईयॉ स्थापित की गईं, जिसमें **रू0 117.07** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **3704** का रोजगार सृजित हुआ है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत निम्नवत् धनराशि वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 तथा 2014-15 में क्रमशः रू0 250 लाख, रू0 300 लाख, रू0 487 लाख, रू0 507 लाख,

रू0 200 लाख तथा रू० 1400 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसके सापेक्ष वर्षवार निम्नवत् धनराशि जनपदों को आवंटित की गई। जनपदों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष 13 मार्च, 2015 तक निम्नवत् व्यय हुआ हैः–

जनपद का नाम	वर्ष 2008–09 में व्यय की गई धनराशि		वर्ष 2009–10 में व्यय की गई धनराशि		वर्ष 2010–11 में व्यय की गई धनराशि		वर्ष 2011–12 में व्यय की गई धनराशि		वर्ष 2012–13 में व्यय की गई धनराशि		वर्ष 2013–14 में व्यय की गई धनराशि		वर्ष 2014–15 में व्यय की गई धनराशि	
	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
नैनीताल	0	0	1	30.00	9	37.963	13	52.67	28	174.20	58	417.55	81	205.87
अल्मोड़ा	0	0	12	5.30	31	39.983	24	40.28	27	33.67	26	148.84	71	150.32
बागेश्वर	4	2.33	12	9.17	16	31.220	21	20.87	0	0	38	65.21	34	50.90
पिथौरागढ़	7	10.00	25	26.15	30	23.990	75	78.40	20	27.50	124	113.51	3	42.98
चम्पावत	5	4.20	19	10.00	37	12.000	33	8.32	7	1.38	14	45.51	36	63.03
पौड़ी	0	0	11	61.06	14	52.616	3	73.89	16	45.56	42	208.23	74	316.69
टिहरी	0	0	12	75.01	29	85.387	38	167.75	39	115.98	53	258.28	84	397.59
चमोली	0	0	6	5.21	3	5.000	3	5.67	10	44.91	4	47.75	38	66.95
रूद्रप्रयाग	0	0	1	3.73	2	2.015	3	36.95	5	5.52	13	20.35	23	34.71
उत्तरकाशी	2	2.21	2	6.60	9	7.405	2	1.63	6	58.28	10	68.55	24	41.06
देहरादून	1	0.99	6	5.01	6	2.421	3	0.21	0	0	6	6.22	17	29.90
योगः–	19	19.73	107	237.24	186	300.000	218	486.64	158	507.00	388	1400.00	485	1400.00

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

वर्ष 2008–09 तक भारत सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों नवयुवकों/नवयुवतियों के लिये स्वतः रोजगार हेतु संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत राज्य की प्रगति देश में सर्वश्रेष्ठ रही है। वर्ष 2008–09 में उद्योग विभाग द्वारा पूर्व से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार सृजन योजना को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक बेरोजगारों को उनके उद्यम स्थापित करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना शुरू की गयी। यह योजना उद्योग विभाग, प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर पर संचालित की जा रही है और खादी ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार को योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

अनुदान का स्तर

लाभार्थियो के वर्ग	परियोजना लागत में लाभार्थी का अंशदान (प्रतिशत में)	अनुदान दर (प्रतिशत में)	
		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी के व्यक्ति	10	15	25
अनु0जाति / अनु0जनजाति / अ0पि0व0 / अल्पसंख्यक / महिला / पूर्व सैनिक / शारीरिक विकलांग / उत्तर पूर्व क्षेत्र , पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्ति	05	25	35

योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 की **(माह फरवरी, 2015 तक)** प्रगति निम्नवत् हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

(उद्योग) वर्ष 2014–15									(खादी) वर्ष 2014–15						
क्र0 सं0	जनपद	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण		वितरित मार्जिन मनी बैक लॉग सहित		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण		वितरित मार्जिन मनी बैक लॉग सहित	
			सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0		सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0
1.	नैनीताल	**59**	45	226.30	38	121.62	37	60.30	**41**	33	222.90	33	222.90	33	222.90
2.	ऊधमसिंह नगर	**53**	30	125.22	22	96.65	24	73.03	**40**	25	94.58	11	28.00	16	53.50
3.	अल्मोड़ा	**56**	58	218.00	41	141.83	62	59.92	**38**	34	248.00	32	238.00	32	230.00
4.	पिथौरागढ़	**57**	2	4.00	0	0	57	59.18	**41**	36	109.00	36	109.00	49	146.00
5.	बागेश्वर	**52**	57	126.60	49	81.86	23	20.15	**43**	26	69.50	24	64.50	28	82.50
6.	चम्पावत	**57**	69	261.91	63	226.90	38	48.14	**43**	34	154.60	34	154.60	44	182.10
7.	देहरादून	**60**	91	419.90	66	326.15	36	50.19	**41**	8	54.50	8	54.50	8	54.50
8.	पौड़ी	**55**	50	243.01	26	136.00	26	47.31	**40**	15	142.26	10	68.09	11	69.09
9.	टिहरी	**52**	49	232.90	29	144.00	28	43.34	**38**	28	90.97	11	35.90	11	35.10
10.	चमोली	**56**	31	127.00	11	39.50	46	61.17	**46**	30	98.00	27	91.00	27	91.00
11.	उत्तरकाशी	**52**	42	146.13	20	80.70	27	27.42	**43**	21	66.15	11	37.65	22	77.15
12.	रूद्रप्रयाग	**55**	61	190.50	50	143.50	57	69.99	**45**	50	172.00	34	129.00	34	129.00
13.	हरिद्वार	**56**	29	289.05	12	130.55	42	79.97	**41**	14	128.00	6	61.00	19	250.00
योग		**720**	**614**	**2610.52**	**427**	**1669.26**	**503**	**700.11**	**540**	**354**	**1650.46**	**277**	**1294.14**	**334**	**1622.84**

सुकरता परिषद

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 प्रवर्त होने से पूर्व लघु और आनुशंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अधिनियम–1993 के अधीन विलम्बित संदाय के भुगतान हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2221/औ0वि0/182–उद्योग/ 2001 दिनांक 6 नवम्बर, 2001 से उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउन्सिल नियम–2001 प्राख्यापित किये गये थे। उक्त अधिनियम की धारा–32(1) द्वारा लघु और आनुशंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अधिनियम–1993 को निरसित कर दिया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–5 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान पर संदाय प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है। उक्त अधिनियम की धारा–30(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी तथा धारा–30, उपधारा–2(क) के अधीन विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद की संरचना, सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति और धारा–23 की उपधारा–3 के अधीन परिषद के सदस्यों के कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेगी। सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद 3 से अधिक किन्तु 5 से कम सदस्यों से मिलकर गठित की जायेगी, जिसमें राज्य सरकार के उद्योग विभाग में नियुक्त निदेशक उद्योग पदेन अध्यक्ष तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के संगमों/संगठनों के एक या अधिक पदाधिकारी, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के एक या अधिक प्रतिनिधि, उद्योग, वित्त, विधि, वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्ति को सदस्य नामित किया जायेगा।

यह परिषद अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के तहत माध्यस्थम और सुलह अधिनियम–1996 के प्राविधानों के तहत दावों पर आपसी बातचीत व सुनवाई कर दावों का निस्तारण करेगी। संख्या–2896/सात–2–10/182/उद्योग/2001/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा–30 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2010 को उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरता परिषद नियमावली–2010 प्रख्यापित की गई है।

उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरता परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 को आयोजित की गई। माह फरवरी, 2015 तक परिषद के समक्ष 90 इकाईयों द्वारा अपने वाद प्रस्तुत किये हैं। परिषद में 9 इकाईयों के मामले आपसी सामंजस्य से तथा 33 मामलों में अवार्ड घोषित किया जा चुका है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रय वरीयता नीति, 2014

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–261/सात–2–14/143–उद्योग/2003 दिनांक 19–3–2014 से औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–3396/सात–2(08)/143–उद्योग/2003 दिनांक 30 जून, 2009 तथा शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2010 द्वारा निर्गत मूल्य/क्रय वरीयता नीति को अतिक्रमित करते हुये प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर एवं खादी सहित) उद्यमों द्वारा उत्पादित तथा प्रदत्त सेवाओं को शासकीय उपापन में निविदा का समय वरीयता देने हेतु क्रय वरीयता नीति स्वीकृत की गई है। नीति के मुख्य प्राविधान निम्नवत् हैं:–

- यह नीति उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्रों में ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006'' के अन्तर्गत ''सूक्ष्म तथा लघु उद्यम'' के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो तथा शासकीय सामग्री क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय में पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो।
- क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेशों का पालन करते हुये निष्पक्ष, समान पारदर्शी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुये नीति का कियान्वयन किया जायेगा।
- क्रय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना, प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यमों को प्रदेश की मध्यम व बृहत तथा प्रदेश से बाहर की सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली वरीयता से होगा, बशर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें न्यूनतम दर एल1 से अधिकतम 20 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत हो।
- निविदा में प्रदेश की सहभागी सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यम, जिसने एल1 + 20 प्रतिशत मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहॉ एल1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहॉ उनके मूल्य को एल1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये

जायेंगे। प्रदेश की ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को क्षमता के अनुरूप आनुपातिक रूप में (निविदा की गई मात्रा तक) बॉटा जायेगा।

- विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथासंशोधित/परिवर्धित नीति–2011) में अधिसूचित पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले सूक्ष्म व लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यम, जिसने एल1 + 30 प्रतिशत मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहॉ एल1 को एल1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे।

हथकरघा योजनायें

एकीकृत हथकरघा विकास (भारत सरकार द्वारा प्रायोजित):

बुनकरो को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एकीकृत हथकरघा विकास योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत निम्न अवयव है, जिनमें न्यूनतम 300 से 500 हथकरघा वाले बुनकर समूहों के विकास के लिये क्रियान्वयन एजेंसी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- बुनकर समूह का गठन
- यार्न डिपो की स्थापना
- डिजाइनो का विकास
- सामान्य सुविधा केन्द्र/रंगाई घर की स्थापना
- प्रचार–प्रसार
- बुनकरो को करघे एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराना
- बुनकरो को प्रशिक्षण प्रदान कराना
- बुनकरो को आवास उपलब्ध कराना

राज्य के लिए अब–तक निम्नांकित 9 हथकरघा कलस्टर स्वीकृत किये गये हैंः–

1. छिनका, चमोली।
2. मंगलौर, हरिद्वार।
3. डुण्डा, उत्तरकाशी।
4. मुनस्यारी, पिथौरागढ।
5. धारचूला, पिथौरागढ।
6. कालसी(विकास नगर) देहरादून।
7. इमलीखेड़ा, मोहनपुरा(हरिद्वार)
8. घाटीबगड़(पिथौरागढ़)।
9. पिथौरागढ़

उक्त कलस्टरों के लिए भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मदों में 2698 बुनकरो को निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी हैः–

(लाख रू0 में)

क0 सं0	कलस्टर का स्थल / जनपद	कियान्वयन एजेन्सी	स्वीकृति वर्ष	कुल परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि	राज्य सरकार से अवमुक्त धनराशि	कुल बुनकर
1–	छिनका, चमोली	बुनकर सेवा केन्द्र, चमोली	2007-08	59.91	51.19	7.37	51.190	7.370	276
2–	मंगलौर, हरिद्वार	आई.आई.ई., देहरादून	2007-08	59.91	51.19	7.37	51.190	7.370	276
3–	डुण्डा, उत्तरकाशी	आई.आई.ई., देहरादून	2007-08	60.00	53.542	6.458	53.542	6.458	278
4–	मुनस्यारी, पिथौरागढ़	यूएचएचडीसी, देहरादून	2007-08	60.00	53.542	6.458	53.542	6.458	278
5–	धारचूला, पिथौरागढ़	यूएचएचडीसी, देहरादून	2007-08	60.00	53.542	6.458	53.542	6.458	278
6–	कालसी, (विकासनगर), देहरादून	वूमेन डेपलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, देहरादून	2008-09	60.00	54.853	5.147	54.853	5.147	257
7–	इमलीखेड़ा, मोहनपुरा (हरिद्वार)	वूमेन डेपलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन, देहरादून	2010-11	60.00	54.148	5.267	54.148	5.267	440
8–	घाटीबगड़ (पिथौरागढ़)	उत्तराखण्ड आर्ट वैलफेयर एसोसियेशन, कोटबाग, नैनीताल	2010-11	60.00	54.370	5.082	38.968	2.195	305
9–	पिथौरागढ़	उत्तराखण्ड आर्ट वेलफेयर एसोसियेशन, कोटाबाग, नैनीताल	2011-12	60.00	54.311	5.098	18.00	1.690	310
	योगः–			**539.82**	**480.688**	**54.708**	**428.975**	**48.413**	**2698**

वीवर क्रेडिट कार्ड योजना

बुनकरों को तकनीकी सहायता, फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने एवं उद्यमिता विकास करने हेतु वीवर क्रेडिट कार्ड देश के वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित की गई है। योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा बुनकरों को वर्किंग कैपिटल के रूप में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसके अन्तर्गत रू0 2 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट के लिये न्यूनतम रू0 25,000/– की धनराशि निर्धारित की गई है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	बैंक को प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में)
1.	बागेश्वर	156	26	13.725	6.00
2.	पिथौरागढ़	1148	115	57.30	22.50
3.	ऊधमसिंहनगर	498	43	56.548	40.748
4.	देहरादून	238	63	30.278	30.278
5.	उत्तरकाशी	360	92	46.16	44.88
6.	हरिद्वार	1346	38	9.50	9.50
7.	चमोली	271	0	0	0
	योगः–	**4017**	**377**	**213.511**	**153.906**

हथकरघा क्षेत्र हेतु पुनरूद्धार, सुधार तथा पुनर्निर्माण योजना

(Modified Revival, Reform and Restructuring Package for Handloom Scheme)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में बुनकरों/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों एवं व्यक्तिगत बुनकरों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं जिला सहकारी बैंकों से लिये गये ऋण के समायोजन, मशीन ह्रास एवं पुर्नपूंजीकरण हेतु योजना नाबार्ड के सहयोग से संचालित की जा रही हैं।

योजना के मुख्य घटक निम्न हैंः–

1. भारत सरकार द्वारा ऋण का समायोजन 90:10 के अनुपात में किया जायेगा।
2. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा बैंकों से लिया गया समस्त ऋण का समायोजन किया जायेगा एवं व्यक्तिगत बुनकरों द्वारा लिये गये ऋण का अधिकतम रू0 50,000/– तक प्रति बुनकर की दर से समायोजन किया जायेगा।

3. ऋण का समायोजन दिनांक 31–3–2010 से पूर्व लिये गये ऋण पर ही किया जायेगा।
4. कार्यरत बुनकर सहकारी समितियों को योजनान्तर्गत तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी।
5. बुनकरों को क्रेडिट गारण्टी भी उपलब्ध कराई जायेगी।
6. समस्त बैंकों द्वारा बुनकरों को 3 प्रतिशत ब्याज उपादान दिया जायेगा।
7. बुनकरों को क्रेडिट गारण्टी हेतु रू0 10,000/– की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जायेगी।

योजनान्तर्गत अद्यतन प्रगति का विवरण निम्नवत् हैः–

प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति/व्यक्तिगत बुनकरों के दावों का विवरण

कुल दावे			राज्यांश (रूपये में)	केन्द्रांश (रूपये में)	योग (रूपये में)
समिति	2012-13	1	1,62,822.00	14,56,820.00	16,19,642.00
	2013-14	62	22,83,709.00	2,05,53,379.00	2,28,37,088.00
बुनकर	47		1,35,560.00	12,20,037.00	13,55,597.00
योगः–			25,82,091.00	2,32,30,236.00	2,58,12,327.00

महात्मा गांधी बुनकर योजना (भारत सरकार द्वारा प्रायोजित):

उद्देश्यः–

महात्मा गॉधी बुनकर योजना का मूल उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ–साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में तथा दुर्घटना के कारण पूर्ण एवं आंशिक निःशक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है।

प्रीमियमः–

470 रूपये प्रति सदस्य की वार्षिक प्रीमियम निम्नप्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध कराई जाती हैः–

क0सं0	मद का नाम	धनराशि
1–	भारत सरकार का अंश	रू0 290.00
2–	बुनकर अंश	रू0 80.00
3–	भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान	रू0 100.00
	योगः–	**रू0 470.00**

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बुनकर/वारिश को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का विवरणः–

क0सं0	मद का नाम	धनराशि
1–	स्वाभाविक मृत्यु	रू0 60000/–
2–	दुर्घटना के कारण मृत्यु	रू0 150000/–
3–	पूर्ण निःशक्तता	रू0 150000/–
4–	आंशिक निःशक्तता	रू0 75000/–

विगत वर्षों में निम्न प्रकार योजना में बुनकर आच्छादित किये गये हैं तथा दावों का भुगतान किया गया हैः–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	आच्छादित बुनकर	दावों की संख्या	अवमुक्त धनराशि
1	2013–14	405	6	4,54,000.00
2	2014–15	1315	10	6,00,000.00

शिक्षा सहयोग योजनाः–

महात्मा गॉधी बुनकर बीमा योजनान्तर्गत आच्छादित बुनकरों के बच्चों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा रू0 100/– प्रतिमाह की दर से एक वर्ष में अधिकतम रू0 1200/– छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	आच्छादित बुनकर	अवमुक्त धनराशि
1	2011–12	33	27,600.00
2	2012–13	13	7,800.00
3	2013–14	35	42,000.00

राज्य में उत्पादित उत्पादों को विपणन प्रोत्साहनः

- राज्य में व राज्य के बाहर विभिन्न मेला प्रदर्शनियों का आयोजन कर तथा विभागीय बिक्री केन्द्र पर ''हिमाद्रि'' ब्राण्ड के नाम से राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन व प्रदर्शन किया जा रहा है।
- उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद की एक website (www.uttarakhandcrafts.com) का निर्माण कर हथकरघा एवं हस्तशिल्प से सम्बन्धित समस्त सूचनायें एवं जानकारियां upload की जा रही हैं।

माटी कला बोर्ड

हस्तशिल्प सभ्यता के आरम्भ से ही मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो से आरम्भ हुए भारतीय कालखण्ड में प्राप्त हई वस्तुएं हस्तशिल्प की समृद्ध परम्परा का साक्ष्य हैं और इस रूप में भारतीय संस्कृति से आत्मसात हो अर्वाचीन काल तक चली आ रही है। यही कारण है कि विभिन्न सभ्यताएं काल के गर्त में समा इतिहास बन गई जबकि संस्कृति जीवन का अंग बनकर आज भी जीवित हैं। ज्ञान विज्ञान तथा कला के माध्यम से विकसित संस्कृति ही क्षेत्र विशेष के आर्थिक तन्त्र को पैदा करती है और क्षेत्र का विकास करती है। उत्तराखण्ड प्रदेश में हस्तशिल्प तथा स्थानीय उत्पाद ग्रामीण परिवेश और अर्थतन्त्र के आधार स्तम्भ रहे हैं। प्रदेश की हस्तशिल्प परम्परा अत्यधिक समृद्ध एवं गौरवशाली है। प्रदेश में बांस–रिंगाल शिल्प, ताम्र शिल्प, पत्थर शिल्प, प्राकृतिक रेशों पर आधारित शिल्पों की अलग पहचान बनी है और इसी में माटी शिल्प/टेराकोटा शामिल है।

तकनीकी विकास के चलते मशीनीकरण व इनसे निर्मित उत्पादों की चकाचौंध ने ग्रामीण परिवेश में रोजगार के अवसर कम किये हैं। उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास के मेरूदण्ड में कृषि एवं पशुपालन को ही प्रमुख श्रोत समझा जाता रहा है, परन्तु सामान्य जन मानस, योजनाकार तथा विचारक अन्य श्रोतों की ओर भी सोचते रहे हैं। इसी कारण प्रदेश में **Waste To Wealth** विचार धारा का जन्म हुआ है।

प्रदेश के माटी शिल्पियों द्वारा घरेलू उत्पाद, विभिन्न सजावटी सामान–गमले गुलदस्ते और भण्डारण आदि के लिये उपयोगी सामग्रियों का उत्पादन किया जा रहा है। परन्तु इनका पर्याप्त प्रचार–प्रसार न हो पाने के कारण तथा संगठित व्यवस्था न होने के चलते माटी शिल्प व इससे जुडे शिल्पियों के आर्थिक व सामाजिक पक्षों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल शिल्पकार प्रभावित हो रहे थे बल्कि शिल्प कला भी प्रभावित हो रही थी।

प्रदेश सरकार द्वारा कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक उन्नति के लिए माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य सम्बन्धी कुटीर उद्योग के समुचित महत्व को पारम्परिक शिल्पकला के संरक्षण के साथ ही शिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु तथा कारीगरों को तकनीकी कौशल, आर्थिक सहायता एवं विपणन के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड"** का गठन किया गया।

बोर्ड के कार्यः–

- माटी कला उद्योगों से सम्बन्धित अधोसंरचना की सुविधाएं यथा–बिजली पानी, सड़क, आदि की व्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्रों में शेड आवंटन हेतु सुझाव देना।
- टैक्स, खनिज रायल्टी आदि पर युक्तियुक्त नीति बनाना।
- संस्थागत वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना।
- तकनीकी सहायता हेतु मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना।
- उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु मेला–प्रदर्शनियों में प्रतिभाग कराना।

परेड ग्राउण्ड, देहरादून में आयोजित उत्तर भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में माटी कला शिल्पी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी को गणेश प्रतिमा भेंट करते हुये

मा0 मंत्री जी द्वारा परेड ग्राउण्ड, देहरादून में आयोजित उत्तर भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का अवलोकन करते हुये

औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–प्रसार

प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के प्रदर्शन, औद्योगिक नीति के प्रचार–प्रसार तथा राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों, यथाः भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली (प्रत्येक वर्ष 14–27 नवम्बर) में राज्य की सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है। भारत अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला, जो प्रतिवर्ष माह नवम्बर में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, में राज्य द्वारा भाग लिया जाता है। कुटीर, दस्तकारी, लघु, हथकरघा एवं हस्तशिल्प इकाईयों को व्यापार व विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश व प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों, यथाः नेशनल हेण्डलूम एक्सपों, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो, क्राफ्ट बाजार, गॉधी शिल्प बाजार, शरदोत्सव/ग्रीष्मोत्सव व प्रदेश के पारम्परिक मेलों मे विभाग द्वारा प्रदर्शनियां/गोष्ठीयां आयोजित की जाती हैं।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14–27 नवम्बर, 2014 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष प्रदर्शनी का थीम **''महिला उद्यमिता''** था। मेले में राज्य के उद्योग, लघु उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण के 110 स्टॉल स्थापित किये गये थे।

पिथौरागढ़ एवं कोटद्वार(पौड़ी) में माह नवम्बर, 2014 एवं जनवरी, 2015 में **''स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो''** का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भॉति इस वर्ष भी देहरादून में माह दिसम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 तक **''नेशनल हैण्डलूम एक्सपो''** का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया।

हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने हेतु देहरादून में दिनांक 23–2–2015 से 4–3–2015 तक तथा हल्द्वानी(नैनीताल) में दिनांक 21–3–2015 से 31–3–2015 तक गॉधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया है।

वर्ष 2014–15 में माघ मेला(उत्तरकाशी), हैण्डलूम ट्रेड फेयर, काशीपुर (ऊधमसिंहनगर), हरेला मेला, भीमताल(नैनीताल), विन्टर फैस्टिबल, रामनगर(नैनीताल), नन्दादेवी मेला(नैनीताल), शरदोत्सव(अल्मोड़ा), पुरोला मेला(उत्तरकाशी), एवं गोपेश्वर(चमोली) में जिला हथकरघा प्रदर्शनियॉ आयोजित की गईं।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में बृद्धि किये जाने हेतु औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार योजनान्तर्गत कार्यशाला/गोष्ठी/सेमीनार आदि का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प कारीगर व बुनकरों के उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु एवं बुनकरों एवं शिल्पियों को सुलभ बाजार उपलब्ध कराने व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश

के प्रमुख यात्रा मार्गो/पर्यटन केन्द्रों तथा देहरादून, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, श्रीनगर (गढ़वाल), हरिद्वार, काशीपुर एवं कसारदेवी व मालरोड(अल्मोड़ा) में स्थापित विपणन केन्द्रों के माध्यम से "**हिमाद्रि**" ब्राण्ड नेम के उत्पादों का विपणन एवं प्रदर्शन किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2014 के भ्रमण कार्यक्रम पर मा0 मुख्य मंत्री जी का स्वागत करते हुये

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2014 में मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड दिवस में दीप प्रज्जवलित करते हुये

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2014 में मा0 मुख्यमंत्री जी स्टालों का अवलोकन करते हुये

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2014 में मा0 मुख्य मंत्री जी ''हिमाद्रि'' के कलैण्डर का विमोचन करते हुये

मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 मंत्री जी नेशनल हैण्डलूम एक्सपो का अवलोकन करते हुये

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर परेड ग्राउण्ड, देहरादून में विभाग की झॉकी

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

ऊन योजना का इतिहास –

भेड़ पालन प्राचीन काल से ही उत्तराखण्ड का मुख्य व्यवसाय है। यहॉ की लगभग 65 प्रतिशत वन भूमि व लगभग 15 प्रतिशत चराई भूमि में भेड़ व बकरियों को चरान व चुगान के उत्तम चारागाह विधमान है यही कारण है कि भेड़ पालन व्यवसाय इस क्षेत्र के निवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार रहा है। सन् 1962 के चीन आक्रमण के बाद इस व्यवसाय को बडा आघात लगा। भारत–तिब्बत सीमा पर स्थित ऊन की मण्डी पर उजड गयी। काफी लोगों ने ऊन का व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपना लिया। अच्छी किस्म के ऊन का व्यवसाय बन्द सा हो गया। उत्तराखण्ड में 2003 की पशु जन गणना के आधार पर भेडों की संख्या 2.95 लाख तथा बकरियों की संख्या 11.58 लाख है तथा उत्तरांचल में ऊन का कुल उत्पादन 3,69,806 कि0ग्रा0 के लगभग है।

चम्बा, अल्मोड़ा व श्रीनगर में तीन केन्द्र स्थापित किये गये, जिनके अधीन 20 उत्पादन केन्द्र के माध्यम से खादी के अन्तर्गत ऊन की कताई व बुनाई का कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1994–95 तक यह योजना बहुत ही अच्छी दशा में क्रियान्वित हुयी किन्तु वर्ष 1994–95 के उपरान्त इस योजना का क्रियान्वयन काफी बुरी दशा में हो गया तथा वर्तमान में स्थापित कुछ कताई व उत्पादन केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। उत्तराखण्ड राज्य में ऊनी व्ययसाय की असीम संभावनाओं को देखते हुये इस योजना की पुनर्जीवीकरण परियोजना तैयार कर केन्द्रों का जीर्णोद्धार किया गया है ,जिससे काफी अधिक संख्या में उत्तराखण्ड में रोजगार के अवसर सृजित किये गये है।

- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अर्न्तगत यह योजना संचालित है।
- स्थानीय कतकरों एवं बुनकरों के माध्यम से खादी की गतिविधि को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है।
- योजनान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा, चम्बा (टिहरी), श्रीनगर गढ़वाल, जसपुर में स्थापित है।
- पर्वतीय ऊन योजना के अर्न्तगत अल्मोड़ा एवं श्रीनगर गढ़वाल में फिनिशिगं एवं कार्डिग प्लान्ट तथा बागेश्वर एवं चम्बा (टिहरी) में कार्डिग प्लान्ट की स्थापना जिसके माध्यम से स्थानीय कारीगरों, संस्थाओं/समितियों तथा विभागीय केन्द्रों द्वारा ऊन तथा ऊनी माल की कार्डिगं एवं फिनीशिंग की जाती है।

- पर्वतीय अंचलों में ऊन योजना के 20 उत्पादन केन्द्र एवं 10 बिक्री केन्द्र तथा 8 क्लस्टर केन्द्र संचालित हैं, जिनमें कताई–बनाई की गतिविधि बढ़ाकर इनके नीचे पर्याप्त मात्रा में उपकेन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं।
- ग्रामीण उद्यमियों को नियमित बाजार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मेलों की एक चेन बनायी गई है, जिसमें कि ग्रामीण उद्यमियों को वर्षभर बाजार उपलब्ध हो सके।

उत्पादन एवं कलस्टर केन्द्रों का विवरण

जनपद का नाम	कताई बुनाई उत्पादन केन्द्र	कताई बुनाई कलस्टर केन्द्र
चमोली	गोपेश्वर, भीमतल्ला, देवाल, रडुवा	–
रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	सुमाडी, रूद्रप्रयाग
हरिद्वार	–	हरिपुर कला शान्ति कुॅज
पौडी	श्रीनगर, दुगड्डा	किल्बोखाल
टिहरी	चम्बा	नई टिहरी
उत्तरकाशी	भटवाडी, डुण्डा	–
देहरादून	रतनपुर	उदपालटा, डाण्डी, भोगपुर
पिथौरागढ	धारचूला, मुनस्यारी, थल	–
बागेश्वर	बागेश्वर, कपकोट	–
अल्मोडा	अल्मोडा	बग्वाली पोखर
उद्यमसिंह नगर	जसपुर	–
नैनीताल	–	हल्दूचौड

बिक्री केन्द्रों का विवरण

जनपद का नाम	बिक्री केन्द्र का नाम
पौडी गढवाल	श्रीनगर गढवाल
टिहरी	नई टिहरी
देहरादून	मंसूरी, देहरादून
अल्मोडा	अल्मोडा
बागेश्वर	बागेश्वर, कपकोट
पिथौरागढ	मुनस्यारी
नैनीताल	नैनीताल
उधमसिंह नगर	रूद्रपुर

वर्षवार उत्पादन एवं बिक्री की प्रगति

वर्ष	उत्पादन (लाख रू0 में)	बिक्री (लाख रू0 में)	रोजगार (व्यक्ति में)
2012–13	125.19	148.43	832
2013–14	78.46	195.81	483
2014–15 (फरवरी, 2015 तक)	49.40	227.21	448

उत्तराखण्ड खादी बोर्ड गठन के बाद किये गये कार्य

(1) उत्पादन चम्बा, बागेश्वर एवं बिक्री मसूरी,देहरादून का सुदृढीकरण कार्य।

(2) कतकरों को धागा कताई हेतु एन0एम0सी0 चर्खे उपलब्ध कराये गये।

(3) ऊन बैंक का सुदृढीकरण किया गया।

(4) प्राकृतिक रेशा बैंक की स्थापना ।

(5) प्राकृतिक रंगों के निर्माण की गतिविधि के लिये भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के माध्यम से रिसर्च कार्य।

(6) मुख्यमंत्री कलस्टर विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत कताई बुनाई कलस्टर विकास।

ऊन बैंक की स्थापनाः–

उत्तराखण्ड में भेड पालन सीमान्त पर्वतीय जनपदों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की व्यवसाय को उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के पूर्व नियोजित नहीं थी, जिससे भेड पालकों को उचित मूल्य नही मिल पाता था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड खादी बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गयी, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाते हैंः–

- प्राथमिकता के आधार पर राज्य की स्थानीय भेड़ पालकों से ऊन क्रय किया जाना।
- ऊन की प्रशोधन के उपरान्त खादी की संस्था समितियों एवं विभागीय केन्द्रों में कतकर/बुनकर को उच्च गुणवत्ता की ऊन उपलब्ध कराना।
- पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के सहयोग से भेड़पालकों की ऊन का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना।
- ऊन क्रय करने हेतु राज्य के ऊन बाहुल्य क्षेत्रों में ऊन क्रय केन्द्र की स्थापना।

ऊन क्रय की गतिविधि के संचालन हेतु निम्नानुसार वर्ष 2014–15 में धनराशि प्राप्त हुई है:–

क्र0सं0	विवरण	धनराशि (लाख रू0 में)
1	जिला योजना	150.25
2	राज्य सैक्टर	50.00
3	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड	20.00
	कुल योग–	**220.25**

ऊन क्रय हेतु स्थापित केन्द्रों का विवरण–

(1) हर्सिल / डुण्डा (जनपद उत्तरकाशी)
(2) मोरी (जनपद उत्तरकाशी)
(3) विनयखाल (जनपद टिहरी)
(4) घुत्तु / भिलंगना (जनपद टिहरी)
(5) तपोवन (जनपद चमोली)
(6) घाट / देवाल (जनपद चमोली)
(7) कपकोट (जनपद बागेश्वर)
(8) धारचूला / मुनस्यारी (जनपद पिथौरागढ)
(9) जखोली (जनपद रूद्रप्रयाग)

स्थानीय ऊन क्रय का विवरण

वर्ष	मात्रा कुन्तल	रोजगार
2012–13	427.00	215
2013–14	441.00	215
2014–15	673.00	320

खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट

- राज्य सैक्टर योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर गॉधी जयन्ती के शुभ अवसर पर आम जनता को खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत् छूट की सुविधा।
- छूट की अवधि 108 कार्यकारी दिवसों के लिए लागू की जाती है।
- इस छूट का लाभ राज्य में लगभग 58 खादी संस्थाओं के 152 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही है।

खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट की प्रगति

(माह फरवरी, 2015 तक)

(धनराशि लाख में)

वर्ष	स्वीकृत/अवमुक्त	वितरित धनराशि	लाभान्वित संस्थायें
2012-13	325	325	56
2013-14	190	190	56
2014-15	250	250	58

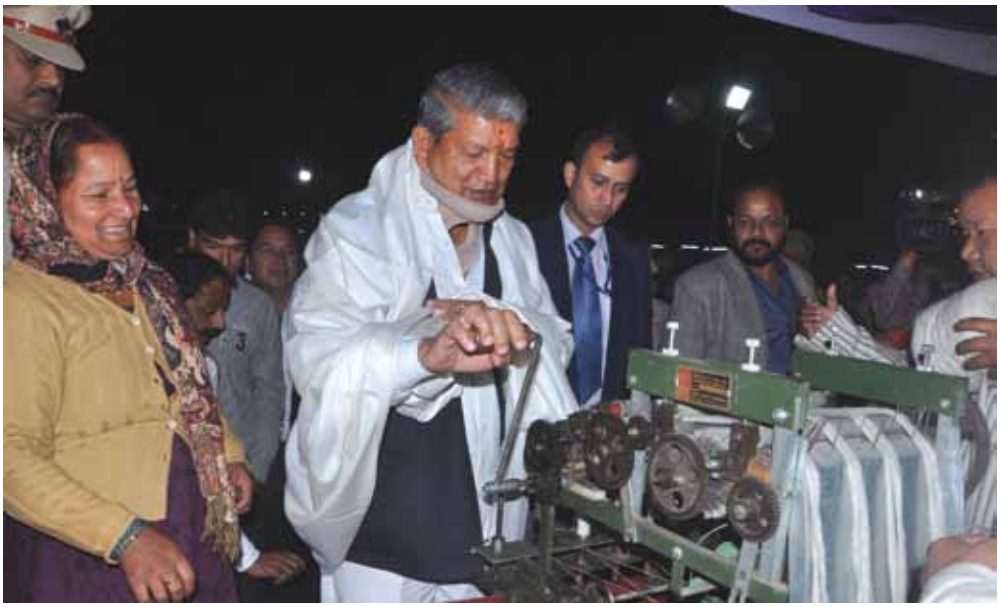

न्यू मॉडल चर्खा को चलाते मा0 मुख्यमंत्री जी

स्थानीय भेड पालकों से क्रय की गयी ऊन तथा उसका प्रशोधन

व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान

- व्यक्तिगत उद्यमियों को राज्य के अन्दर स्वरोजगार स्थापित किये जाने हेतु अधिकतम रू0 5.00 लाख तक बैंक के माध्यम से वित्तपोषण हेतु सहयोग।
- उद्यमी को परियोजना लागत का 4 प्रतिशत् ब्याज की देयता।
- उद्यमी को परियोजना लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत् ब्याज का लाभ।
- नाकारात्मक सूची के अतिरिक्त नाबार्ड अनुमोदित प्रोजेक्ट प्रोफाईल चयन की सुविधा।

व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना की प्रगति (माह फरवरी, 2015 तक)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	इकाई	धनराशि	रोजगार
2012-13	775	231.90	766	1401.90	1993
2013-14	610	357.24	549	1394.72	1912
2014-15	575	253.30	351	1027.90	1371

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ की गई।
- उद्यमी को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से अधिकतम रू0 25.00 लाख तक वित्तपोषण की सुविधा।
- ग्रामीण क्षेत्र में कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत् का अनुदान।
- नाकारात्मक सूची के अतिरिक्त प्रोजेक्ट प्रोफाईल चयन की सुविधा।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रगति (माह फरवरी, 2015 तक)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	इकाई	धनराशि	रोजगार
2012-13	258	593.75	447	1912.58	1860
2013-14	324	709.82	481	2409.91	2147
2014-15	540	673.81	318	553.41	1689

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

हिमालय क्षेत्र भूवैज्ञानीय दृष्टिकोण से अत्यन्त जटिल भू–संरचनात्मक क्षेत्र है। क्षेत्र की भूसंरचना इतनी जटिल है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न शोध संस्थाओं के भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र के अध्ययन हेतु कार्यरत हैं। प्रत्येक राज्य में खनिजों की उपलब्धता एवं भण्डार के आंकलन के विस्तृत अध्ययन एवं खनिज विकास तथा विनियमन हेतु **भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का गठन** किया गया है।

हिमालय क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय संरचना तथा भूमि के गर्भ में होने वाले प्लेट विवर्तनिक संक्रियाओं के सक्रिय होने से क्षेत्र में भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूमि धंसाव जैसे विनाशकारी घटनाएं प्रायः घटित होती रहती हैं जिनके विस्तृत अध्ययन से जन एवं धन की हानि को कमतर किया जा सकता है। उपरोक्त समस्या के निवारण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा विशिष्ट भू–अभियांत्रिकीय का कार्य सम्पन्न किये जाने का अतिरिक्त दायित्व का निर्वाहन भी किया जाता है।

हिमालयी क्षेत्र में खनिज भण्डारों की अपार सम्भावनाओं के भी प्रमाण मिलते हैं जिनको चिन्हित कर विदोहन कराकर राजस्व प्राप्ति करने के उपरान्त प्रदेश को स्वावलम्भी बनाने में योगदान प्रदान किया जा सकता है। प्रदेश में उप खनिजों यथा बोल्डर, बजरी, बालू इत्यादि के अपार भण्डार हैं जिनके वैज्ञानिक विदोहन से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की विशिष्ट महत्ता है।

उत्तराखण्ड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून की भूमिका राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का अन्वेषण करना, उसका मूल्याँकन करना तथा वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये है जिससे राज्य के विकास के साथ–साथ राजस्व की प्राप्ति भी होती है। उत्तरांचल राज्य में विभाग द्वारा खोजे/आँकलन किये गये खनिज सम्पदा के भण्डारों एवं नये खोजे जा रहे खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विदोहन किया जाये तो राज्य का राजस्व प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को

प्रेषित करना है। क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अतएव भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

विभाग राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिये उपरोक्तानुसार राजस्व वृद्धि एवं निर्माण कार्यों में योगदान देने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

राज्य में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज

क्र0 सं0	खनिज	उपलब्धता (मिलियन टन में)	जनपदवार
1.	**लाइम स्टोन**	950	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
2.	**डोलोमाइट**	200	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
3.	**मैग्नेसाइट**	180	बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़
4.	**सोपस्टोन**	160	अल्मोड़ा, बागेश्वर,चमोली, पिथौरागढ़
5.	**फास्फोराइट**	20	देहरादून, टिहरी गढ़वाल
6.	**बेस मेटल्स**	10	अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौडी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
7.	**बेराइट्स**	N.A	देहरादून
8.	**सिलिकासेण्ड**	10000	उत्तरकाशी, देहरादून
9.	**ग्रेफाइट**	N.A	अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढवाल
10.	**स्लेट्स**	तदैव	उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़
11.	**मारबल्स**	तदैव	देहरादून
12	**नदी तल उपखनिज**	तदैव	राज्य के सभी नदी तलों पर

वित्तीय वर्ष 2014–15 में निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ तथा वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तावित लक्ष्यों का विवरण–

क्र0 सं0	मद/योजना का नाम	इकाई	वार्षिक योजना लक्ष्य	उपलब्धि माह जनवरी–2015 तक	वर्ष 2015– 16 हेतु निर्धारित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	**खनिज अन्वेषण तथा खनिजों का विकास–**				
	(i) ट्रेवर्सिंग	वर्गकि0मी0	200	–	200
	(ii) मैपिंग	वर्गकि0मी0	06	–	06
	(iii) ट्रेंचिंग/पिटिंग	क्यू0मी0	1200	–	1200
	(iv) ड्रिलिंग	मी0	600	–	600
2.	**माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन–**				
	(i) भौतिक लक्ष्य	प्रकरणों की संख्या	800	2180	1000
	(ii) वित्तीय लक्ष्य (खनिजों से रॉयल्टी अवैध खनन, भण्डारण तथा रासायनिक विश्लेषण शुल्क इत्यादि से प्राप्तियां)	रू0 करोड में	301	151	331
3.	**भूअभियांत्रिकीय कार्य**	प्रकरणों की संख्या	600	703	800
4.	**पर्यावरणी प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना**	उपखनिज क्षेत्रों की संख्या	222 उपखनिज क्षेत्र	130	योजना जारी तथा 100 नये खनन क्षेत्र
5.	**सर्विलांस योजना**	सर्विलांस हेतु चिन्हित खनन क्षेत्रों संख्या	जनपद देहरादून के 05 खनिज लॉट व 09 निकासी मार्ग	निविदा की कार्यवाही गतिमान है।	योजना जारी

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून

भूअभियांत्रिकीय कार्यों की माह जनवरी–2015 की जनपदवार विस्तृत वार्षिक प्रगति का विवरण वर्ष 2014–15

क्र0 सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम एवं किये गये कार्य का विवरण								योग
		भवन	सड़क / मार्ग	पुल / बांध	पेयजल योजना	नहर	भूस्खलन	विद्युत टावर	विविध / स्टोन क्रेशर	
1.	चमोली	176	15	10	–	–	15	–	04	**220**
2.	टिहरी	30	–	–	–	01	–	–	08	**39**
3.	उत्तरकाशी	106	03	–	–	–	–	–	11	**120**
4.	पौड़ी	04	–	–	–	–	01	01	05	**11**
5.	देहरादून	25	02	01	–	–	02	–	14	**44**
6.	अल्मोड़ा	21	–	01	–	–	07	–	17	**46**
7.	नैनीताल	95	–	05	–	–	–	–	15	**115**
8.	पिथौरागढ	108	–	–	–	–	–	–	–	**108**
योग		**565**	**20**	**17**	**–**	**01**	**25**	**01**	**74**	**703**

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग देहरादून

खन्न कार्यों की माह जनवरी–2015 की जनपदवार विस्तृत वार्षिक प्रगति का विवरण

वर्ष 2014–15

क्र0 सं0	जनपद का नाम	योजना का विवरण								योग
		पी0 एल0	एम0 एल0	खनन पट्टा अनुज्ञापत्र	सीमा बन्धन	स्टोन क्रेशर	भण्डारण	अवैध खन्न / आ0निरीक्षण	अन्य	
1.	चम्पावत	–	–	16	02	01	35	08	06	**68**
2.	चमोली	01	–	08	08	08	08	12	08	**53**
3.	हरिद्वार	–	–	40	40	12	04	05	56	**157**
4.	उत्तरकाशी	–	–	04	04	04	07	15	10	**44**
5.	पौड़ी	–	–	05	12	06	10	73	–	**106**
6.	देहरादून	03		17	07	04	12	275	39	**357**
7.	नैनीताल			13	30	02	100	114	152	**411**
8.	पिथौरागढ	02	01	14	02	04	–	36	3	**62**
9.	टिहरी गढ़वाल	–	–	13	11	07	11	10	–	**52**
10.	उधमसिंह नगर	–	–	63	89	03	–	134	107	**396**
11.	बागेश्वर	03	08	13	30		–	15	182	**251**
12.	रूद्रप्रयाग	–	–	07	08	01	03	10	03	**32**
13	अल्मोड़ा	–	–	08	13	01	–	17	152	**191**
योग		**09**	**09**	**221**	**256**	**53**	**190**	**724**	**718**	**2180**

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग देहरादून

पर्यावरणी प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना तथा सर्विलांस योजना के अन्तर्गत माह जनवरी–2015 की वार्षिक प्रगति का विवरण

वर्ष 2014–15

क्र0 सं0	योजना का नाम	इकाई	वार्षिक योजना लक्ष्य	उपलब्धि	वर्ष 2014– 15 हेतु निर्धारित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
4.	**पर्यावरणी प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना**	उपखनिज क्षेत्रों की संख्या	222 उपखनिज क्षेत्र	130	योजना जारी तथा 100 नये खनन क्षेत्र
5.	**सर्विलांस योजना**	सर्विलांस हेतु चिन्हित खनन क्षेत्रों संख्या	जनपद देहरादून के 05 खनिज लॉट व 09 निकासी मार्ग	निविदा की कार्यवाही गतिमान है।	योजना जारी

जनपद देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में प्रो0लाई0 स्थल का सीमांकन कार्य

जनपद देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में चट्टानों में भूगर्भीय वलय चित्र

अध्याय-3

उद्योग विभाग

वर्ष 2014–15

समरी

योजनावार –परिव्यय / प्राविधान / स्वीकृति / व्यय

माहः– 13 मार्च, 2015 तक अद्यावधिक

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान संख्या–23 सैक्टर / विभाग	प्रस्तावित परिव्यय नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित परिव्यय	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)
1–जिला सैक्टर	325.00	90.00	575.54	433.82
2–राज्य सैक्टर				
• उद्योग	1716.01	2190.03	2090.00	2090.00
• राजकीय प्रेस रूडकी	0.00	10.00	0.00	0.00
• खनिज	1318.00	867.30	707.30	9.13
योग राज्य सैक्टर –(उद्योग+प्रेस+खनिज)	**3034.01**	**3067.33**	**2797.30**	**2099.13**
3–केन्द्र पोषित योजनाऐं–(राज्य परिव्यय)	546.00	211.03	46.09	46.09
कुल योग :– (1+2+3) (उद्योग+प्रेस+खनिज)	**3905.01**	**3368.36**	**3418.93**	**2579.04**

स्पेशल कम्पोनेन्ट तथा ट्राइवल सब प्लान

अनुदान सं0–30	स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान	207.42	79.49	70.77	52.52
अनुदान सं0–31	ट्राइवल सब प्लान	45.99	40.00	35.61	31.11
	योग :–	**253.41**	**119.43**	**106.38**	**83.63**
संपूर्ण योगः– उद्योग विभाग		**4158.42**	**3487.79**	**3525.31**	**2662.67**

उद्योग विभाग

योजनावार परिव्यय, प्राविधान, स्वीकृति व व्यय –वर्ष 2014–15

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजनायें	परिव्यय	स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)
		नियोजन विभाग में राज्य स्तर पर योजनावार परिव्यय			
1	2	3	4	5	6
	जिला सैक्टर योजनायें				
	(उद्योग)				
1	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	60.00	0.00	56.42	46.03
2	जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण/ डिजाइन केन्द्र आधुनिकीकरण	60.00	40.00	69.22	52.68
3(1)	जि0उ0के0, के आवासीय/अनावासीय भवनों निर्माण/मरम्मत रखरखाव	100.00	50.00	217.35	168.06
3(2)	जि0उ0के0 के प्रशासनिक भवनों का निर्माण/बाउन्ड्रीवाल का निर्माण				
	(खादी)				
4	ग्रामोद्योग को ब्याज उपादान	80.00	0.00	219.46	175.05
5	ऊन, तागा बैंक की स्थापना	25.00	0.00	13.09	10.00
	योग जिला सैक्टर :–	**325.00**	**90.00**	**575.54**	**433.82**

उद्योग विभाग

योजनावार परिव्यय, प्राविधान, स्वीकृति व व्यय –वर्ष 2014–15

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजनायें	परिव्यय	स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)
1	2	3	4	5	6
	राज्य सैक्टर योजनायें				
	(उद्योग)				
1	औद्योगिक प्रोत्साहन मेला, प्रदर्शनी व प्रचार–प्रसार	300.00	210.00	210.00	210.00
2	उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरूष्कार	6.00	6.00	6.00	6.00
3	औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन	0.01	0.01	0.00	0.00
4	उद्योग निदेशालय के लिये समन्वित भवन निर्माण	200.00	0.00	0.00	0.00
5	लघु इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान	20.00	0.01	0.00	0.00
6	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता परिषद को सहायता	100.00	40.00	40.00	40.00
7	पी0एम0आर0वाई प्लस योजना				
8	राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु प्रोत्साहन योजना	500.00	1400.00	1400.00	1400.00
9	माटी कला परिषद के लिये सहायता	0.00	0.01	0.00	0.00
	(हथकरघा)				
10	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	100.00	35.00	35.00	35.00
11	हरि प्रसाद टम्टा शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना	0.00	100.00	0.00	0.00
	(खादी)				
12	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	250.00	299.00	299.00	299.00
13	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	240.00	100.00	100.00	100.00
	योग–राज्य सेक्टर उद्योग	**1716.01**	**2190.03**	**2090.00**	**2090.00**
14	राजकीय प्रेस, रूड़की	0.00	10.00	0.00	0.00
15	खनिज विकास विभाग	1318.00	867.30	707.30	9.13
	योग राज्य सैक्टर :–	**3034.01**	**3067.33**	**2797.30**	**2099.13**

उद्योग विभाग

योजनावार परिव्यय, प्राविधान, स्वीकृति व व्यय –वर्ष 2014–15

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजनायें	परिव्यय		स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)
		राज्य परिव्यय	केन्द्रीय प्रस्तावित परिव्यय			
1	2	3(1)	3(2)	4	5	6
	केन्द्र पोषित योजनायें					
	(उद्योग)					
	लघु उद्योगों की गणना **(100% के0पो0)**	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	केन्द्रीय पूँजी उपादान**(100% के0पो0)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय परिवहन सहायता **(100% के0पो0)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आई.आई.डी. केन्द्रों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	टूलरूम की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कलस्टर विकास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एसाइड	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(हथकरघा)					
	राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम **(75% के0पो0)**	156.00	0.00	0.01	46.09	46.09
	हथकरघा विकास योजना (बुनकरों एवं छीपियों की कल्याण योजनायें) **(75% के0पो0)**	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	हस्तशिल्प विकास योजना **(75% के0पो0)**	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	योग :– केन्द्र पोषित योजनायें	**546.00**	**0.00**	**211.03**	**46.09**	**46.09**
	कुल योग :– (उद्योग + खनिज + प्रेस)			**3368.36**	**3418.93**	**2579.04**

उद्योग विभाग

परिशिष्ट

स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजनायें	परिव्यय		स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)
		नियोजन विभाग में राज्य स्तर पर योजनावार परिव्यय	जिलों द्वारा अनुमोदित परिव्यय के दृष्टिगत			
1	2	3(1)	3(2)	4	5	6
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (अनुदान सं0–30)					
	(उद्योग)					
1	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम **(जि0यो0)**	19.32	19.32	19.32	18.46	15.01
	एसाइड	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(खादी)					
2	व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान (खादी) **(जि0यो0)**	60.00	60.00	60.00	50.50	36.10
3	ऊन बैंक की स्थापना	0.00	0.00	0.00	1.81	1.41
	(हथकरघा)					
	राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम **(75% के0पो0)**	38.00	38.00	0.01	0.00	0.00
4	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता **(राज्य योजना)**	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
5	डिजाइन केन्द्र का आधुनिकीकरण **(जि0यो0)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान :–	**207.42**	**117.42**	**79.43**	**70.77**	**52.52**

उद्योग विभाग

परिशिष्ट

ट्राइबल सब प्लान

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजनायें	परिव्यय		स्वीकृत बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)
		नियोजन विभाग में राज्य स्तर पर योजनावार परिव्यय	जिलों द्वारा अनुमोदित परिव्यय के दृष्टिगत			
1	2	3(1)	3(2)	4	5	6
	ट्राइबल सब प्लान (अनुदान सं0–31)					
	(उद्योग)					
1	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम **(जिला योजना)**	5.89	5.89	5.89	5.37	5.15
	(हथकरघा)					
2	ऊनी कार्डिंग बीविंग का सुदृढ़ीकरण **(जिला योजना)**	12.00	12.00	12.00	11.00	8.64
	राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम **(75% के0पो0)**	6.00	6.00	0.01	0.00	0.00
3	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता **(राज्य योजना)**	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
4	डिजाइन केन्द्र का आधुनिकीकरण **(जिला योजना)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(खादी)					
5	व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान (खादी) **(जिला योजना)**	12.00	12.00	12.00	6.21	4.38
6	ऊन बैंक की स्थापना **(जिला योजना)**	10.00	10.00	10.00	13.03	12.94
	योग ट्राइबल सब प्लान :–	**45.99**	**45.99**	**40.00**	**35.61**	**31.11**

2014–15

भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियॉ

माहः–13 मार्च, 2015

क्र0 सं0	मद / योजना का नाम	इकाई	वार्षिक योजना लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
	केन्द्र पुरोनिधारित योजनायें			
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना **(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	स्वीकृत लाभार्थी संख्या	720	**503**
2	लघु उद्योगों की गणना **(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	इकाई संख्या	0	
3	राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम**(75 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	लाभार्थी बुनकर संख्या	300	1800
4	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	संस्थान संख्या	1	
5	टूल रूम की स्थापना	टूलरूम संख्या	1	
6	कलस्टर विकास योजना	कलस्टर केन्द्र संख्या	1	
	राज्य पोषित योजनायें			
	(उद्योग)			
7	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षार्थी संख्या	5500	**5273**
8	औद्योगिक प्रोत्साहन, मेला, प्रदर्शनी, सेमीनार, गोष्ठी, प्रचार व प्रसार	प्रदर्शनी संख्या	35	29
9	उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरूष्कार	पुरूष्कार संख्या	78	56
10	जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण	जि0उ0के0संख्या	13	11
11	उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन	इकाई संख्या	0	
12	जिला उद्योग केन्द्र एवं उद्योग निदेशालय के भवनों का निर्माण	भवन संख्या	1	
13	लघु उद्यमियों को ब्याज उपादान सहायता	इकाई संख्या	0	
14	जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय व आवासीय भवनों का निर्माण	भवनों की संख्या	1	1

15	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता		समितियों की संख्या	2	2
17	दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिये औद्योगिक प्रोत्साहन नीति– 2008 के अधीन सहायता		लाभान्वित इकाई संख्या	250	485
	(हथकरघा एवं हस्तशिल्प)				
18	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता		समिति संख्या	1	1
	(खादी एवं ग्रामोद्योग)				
19	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट		केन्द्रों की संख्या	200	167
20	ग्रामीण उद्यमियों को ब्याज उपादान		लाभान्वित इकाई संख्या	575	375
21	खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता		रोजगार सृजन	2500	1943
22	ऊन बैंक की स्थापना		बैंक सं0	3	3
23	**राजकीय प्रेस, रूड़की**		**प्रेस संख्या**	**1**	1
24	**खनिज विकास**				
	अ– मिनरल एक्सप्लोटेशन				
	(1)	ट्रैवर्सिंग	वर्ग किमी	200	0
	(2)	मैपिंग	वर्ग किमी	6	0
	(3)	ट्रेंचिंग / पिटिंग	क्यू0मी0	1200	0
	(4)	ड्रिलिंग	मी0	600	0
	ब– माईनिंग एडमिनिस्ट्रेशन				
	(1)	भौतिक लक्ष्य	सं0	800	2180
	(2)	राजस्व वसूली	करोड़ रू0	301	151
	स– भू–अभियांत्रिकी कार्य		सं0	600	703
25	**पर्यावरणी प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना**		उपखनिज क्षेत्रों की सं0	222 उपखनिज क्षेत्र	130
26	**सर्विलांस योजना**		चिन्हित खनन क्षेत्रों की सं0	जनपद देहरादून के 05 खनिज लॉट व 09 निकासी मार्ग	निविदा की कार्यवाही गतिमान है।

	स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान				
	1–	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षार्थी संख्या	1500	**1337**
	2–	ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान	लाभान्वित इकाई संख्या	140	103
	3–	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	परिषद संख्या	1	
	ट्राईवल सब प्लान				
	1–	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षार्थी संख्या	600	**373**
	2–	कार्डिंग/वीविंग प्लाण्ट का सुदृढ़ीकरण	प्लाण्ट संख्या	5	5
			लाभान्वित संख्या	0	0
	3–	ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान	लाभान्वित इकाई संख्या	45	47
	4–	ऊन बैंक की स्थापना	बैंक संख्या	3	3
	5–	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकस परिषद को सहायता	परिषद संख्या	1	1

अध्याय-4

लेखाशीर्षकवार स्वीकृत प्राविधान वर्ष 2015–16

(गत वर्ष 2014–15 की तुलनात्मक स्थिति सहित)

समरी

आयोजनागत योजनायें

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान संख्या– 23

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16
	कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	स्वीकृत प्राविधान
1	2	3	4	5
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग				
102 लघु उद्योग	149005	156564	153871	108504
103–हथकरघा	33601	8109	8109	28000
105–खादी ग्रामोद्योग	10000	33255	26705	5000
800–अन्य व्यय	51500	51500	51500	50600
योग :– 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	**244106**	**249428**	**240185**	**192104**
4058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	1000	0	0	2500
2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	86730	70730	913	135740
4851–ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	5000	21735	16806	0
4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0	0	0	0
महायोग :–(अनु0सं0–23)	**336836**	**341893**	**257904**	**330344**
अनु0सं0–30 स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान	**7943**	**7077**	**5252**	**4020**
अनु0सं0–31 ट्राइवल सब प्लान	**4000**	**3561**	**3111**	**4699**
योगः–	**11943**	**10638**	**8363**	**8719**
सम्पूर्ण योग (उद्योग विभाग):–	**348779**	**352531**	**266267**	**339063**
नई योजना :–				
4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 800–अन्य व्यय, 08–मुंशी हरि प्रसाद टम्टा जी की स्मृति में बहुउदेशीय शिल्प संस्थान गरूडाबांज का निर्माण, 00, 24–वृहत् निर्माण कार्य	-	-	-	**5000**

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान तथा वर्ष 2014–15 के व्यय की तालिका–लेखाशीर्षकवार

आयोजनागत पक्ष

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
0	1	2	3	4	5
1.	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **102 लघु उद्योग** 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0101 लघु उद्योगों की गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	1	0	0	1
2.	04 उद्यमकर्ता विकास योजना(जिला योजना) 20 सहायक अनुदान/अशंदान/ राजसहायता	0	5642	4603	0
3.	15 औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना 20 सहायक अनुदान/अशंदान/ राजसहायता	1	0	0	1
4.	16 जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण 42 अन्य ब्यय	4000	6922	5268	0
5.	17 लधु उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान 20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	1	0	0	1
6.	19 उद्योग मित्र तथा उद्यमिता को सहायता 20 सहायता अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	4000	4000	4000	2000

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
0	1	2	3	4	5
7.	20 उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना 20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	1	0	0	1
8.	21 पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर विकास योजना 20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	1000	0	0	1000
9.	22 पीएमआरवाई प्लस योजना 20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	0	0	0	0
10.	23 पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोत्साहन, अवस्थापना सुविधायें उपादान व सहायता 20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	140000	140000	140000	100000
11.	27 उत्तराखण्ड माटीकला परिषद को सहायता। 20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	1	0	0	500
12.	29–एम.एस.एम.ई अवस्थापना विकास निधि 20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	-	-	-	5000
13.	मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय अधिष्ठान	0	0	0	0
	योग :– 2851(102)	**149005**	**156564**	**153871**	**108504**
14.	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **103 हथकरघा उद्योग** 0110 राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम(75 प्रतिशत केन्द्र पोषित) 42 अन्य व्यय	4610	4609	4609	20000

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
0	1	2	3	4	5
15.	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **103 हथकरघा उद्योग** 0109 हस्तशिल्प विकास योजना(75 प्रतिशत केन्द्र पोषित) 20 सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	100	0	0	0
16.	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **103 हथकरघा उद्योग** 0108 हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजना 20 सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	15391	0	0	0
17.	05 काशीपुर जसपुर की रूग्ण मिलों को पुनर्स्थापना/बी0आर0एस0 योजना 20 सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	0	0	0	0
18.	07 उत्तरॉचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् को सहायता 20 सहायक अनुदान	3500	3500	3500	3000
19.	09 हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना तथा सहायता 20 सहायक अनुदान	10000	0	0	5000
	योग :– 2851 (103) हथकरघा	**33601**	**8109**	**8109**	**28000**
20.	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **105 खादी ग्रामोद्योग** 03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता 20 सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	10000	10000	10000	5000

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
0	1	2	3	4	5
21.	91 जिला योंजना 9101 बैंक वित्त ब्याज उपादान स्वतः रोजगार योजना (जि0यो0) 50 उपादान	0	21946	15705	0
22.	9102–ऊन बैंक की स्थापना 20–सहायक अनुदान/अशंदान/ राजसहायता	0	1309	1000	0
	योग :– 2851 (105) खादी	**10000**	**33255**	**26705**	**5000**
23.	**2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** **800 अन्य ब्यय** 03 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट 50 उपादान	29900	29900	29900	30000
24.	04 औद्योगिक प्रदर्शनी,गोष्ठी सेमिनार, प्रचार व एच0आर0डी0 20 सहायक अनुदान/अशंदान/ राजसहायता	21000	21000	21000	20000
25.	06 उद्यमियों को प्रोत्साहन करने हेतु पुरूस्कार योजना 20 सहायक अनुदान/अशंदान/ राजसहायता	600	600	600	600
	योग :– 2851 (800) अन्य ब्यय	**51500**	**51500**	**51500**	**50600**
	कुल योगः– 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	**244106**	**249428**	**240185**	**192104**

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
0	1	2	3	4	5
26.	**4058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय** 103–सरकारी मुद्रणालय 03–सरकारी मुद्रणालय में मशीनें उपकरण संयंत्र 26–मशीनों की साज–सज्जा ——→ 04–राजकीय मुद्रणालय के भवनों का जीर्णोद्धार 24–बृहद निर्माण	1000	0	0	2500
	योग :– 4058 :–	**1000**	**0**	**0**	**2500**
27.	**2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग** 02–खानों का विनियमन तथा विकास				
	001–निदेशन तथा प्रशासन 03 खनिज प्रशासन का अधिष्ठान	13930	13930	909	13640
	04 राज्य खनिज विकास परिषद् **(नई योजना)**	-	-	-	10000
	102–खनिज खोज 03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्धन	56800	56800	4	49600
	800–अन्य व्यय 02–खनन सर्विलांश	16000	0	0	62500
	योग 2853 :–	**86730**	**70730**	**913**	**135740**
28.	**4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिब्यय** 102 लघु उद्योग 05 जिला उद्योग केन्द्र के आवासीय/अनावसीय भवनों का निर्माण 24 वृहत निर्माण कार्य ——→	5000	21735	16806	0

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

क्र0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
0	1	2	3	4	5
29.	06 उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि हेतु ⟶ भवनों का निर्माण/पुनर्निमाण 24 वृहत निर्माण कार्य	0	0	0	0
30.	**07 टूल रूम की स्थापना** 24 वृहत निर्माण कार्य 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 42 अन्य व्यय	0	0	0	0
	योग– 4851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	**5000**	**21735**	**16806**	**0**
31.	**पूँजीलेखा** **4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय** 01 औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश 190 सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 04 निजी क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये अवस्थापना विकास निधि का सृजन 30 निवेश/ऋण	0	0	0	0
32.	07 एकीकृत अवस्थापना विकास केन्द्रों की स्थापना 24 वृहत निर्माण 30 निवेश/ऋण	0	0	0	0
	योग– 4885	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल योग–उद्योग(अनु0सं0–23)	**336836**	**341893**	**257904**	**330344**

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान

अनुदान संख्या–30

(धनराशि हजार रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	गत वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
0	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102 लघु उद्योग** 0203 उद्यमिता विकास प्रशि0 कार्यक्रम 20 सहायक अनुदान	1932	1846	1501	0
2	**103 हथकरघा उद्योग** 0204–उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता 20 सहायक अनुदान	10	0	0	20
3	**103 हथकरघा उद्योग** 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें 0101–राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम 42 अन्य व्यय	1	0	0	4000
4	**105 खादी ग्रामोद्योग** 0203 व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान 20 सहायक अनुदान	6000	5050	3610	0
5	**ऊन बैंक की स्थापना**	0	181	141	0
योगः– अनुदान संख्या – 30		**7943**	**7077**	**5252**	**4020**
नई योजना मुंशी हरि प्रसाद टम्टा जी की स्मृति में बहुउदेशीय शिल्प संस्थान गरूडाबांज का निर्माण		-	-	-	**5000**

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

ट्राइबल सब प्लान

अनुदान संख्या–31

(धनराशि हजार रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम	गत वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
0	1	2	3	4	5
1	**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग,** 102 लघु उद्योग 0103 उद्यमिता विकास प्रशि0 कार्यक्रम 20 सहायक अनुदान	589	537	515	589
2	**103 हथकरघा उद्योग** 03–कार्डिंग /वीविंग प्लान्टों को सुदृढ़ीकरण 20 सहायक अनुदान	1200	1100	864	1200
3	**103 हथकरघा उद्योग** 04–उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता 20 सहायक अनुदान	10	0	0	10
4	**103 हथकरघा उद्योग** 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें 0101–राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम 42 अन्य व्यय	1	0	0	700
5	**105 खादी ग्रामोद्योग** 0103 व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान 20 सहायक अनुदान	1200	621	438	1200
6	**0106 ऊन बेंक की स्थापना** 20 सहायक अनुदान	1000	1303	1294	1000
योगः–अनुदान संख्या–31		**4000**	**3561**	**3111**	**4699**

नोटः– जिला सेक्टर की योजनाओं मे वर्ष 2014-15 मे मुख्य लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृतियां जिलाधिकारियो के निवर्तन पर जारी की गयी है।

प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य

			वर्ष 2015–16
क्र0 सं0	मद	इकाई	वार्षिक योजना लक्ष्य
0	1	2	3
केन्द्र पुरोनिधारित योजनायें			
1	प्रधानमंत्री रोजगार योजना **(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	लाभार्थी संख्या	850
2	लघु उद्योगों की गणना **(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	इकाई संख्या	-
3	राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम **(75 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	लाभार्थी बुनकर संख्या	3000
4	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	संस्थान संख्या	1
5	टूल रूम की स्थापना	टूलरूम संख्या	1
6	कलस्टर विकास योजना	कलस्टर केन्द्र संख्या	1
राज्य पोषित योजनायें			
(उद्योग)			
7	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षार्थी संख्या	5500
8	औद्योगिक प्रोत्साहन, मेला, प्रदर्शनी, सेमीनार, गोष्ठी, प्रचार व प्रसार	प्रदर्शनी संख्या	35
9	उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरूष्कार	पुरूष्कार संख्या	78
10	नये औद्योगिक आस्थान, पार्क की स्थापना व रख–रखाव	नये आस्थान संख्या	12
11	जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण	जि0उ0के0संख्या	13
12	उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन	इकाई संख्या	-
13	उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्र भवनों का निर्माण	भवन संख्या	1
14	लघु उद्यमियों को ब्याज उपादान सहायता	इकाई संख्या	-
15	जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय व आवासीय भवनों का निर्माण	भवनों की संख्या	1
16	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता	समितियों की संख्या	2
17	दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति हेतु	लाभान्वित इकाई संख्या	270
18	एमएसएमई अवसंरचना विकास निधि	लाभान्वित इकाई संख्या	**नई योजना**
19	एमएसएमई औद्योगिक प्रोत्साहन निधि	लाभान्वित इकाई संख्या	**नई योजना**
(हथकरघा एवं हस्तशिल्प)			
20	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	समिति संख्या	1

	(खादी एवं ग्रामोद्योग)		
21	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	केन्द्रों की संख्या	200
22	ऊल बैंक की स्थापना	बैंक संख्या	3
23	ग्रामीण उद्यमियों को ब्याज उपादान	इकाई संख्या	610
24	खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	लाभार्थी संख्या	2500
25	**राजकीय प्रेस, रूड़की**	**प्रेस संख्या**	**1**
26	**खनिज अन्वेषण एवं खनिज विकास**		
	अ– मिनरल एक्सप्लोटेशन		
	(1) ट्रैवर्सिंग	वर्ग किमी	200
	(2) मैपिंग	वर्ग किमी	6
	(3) ट्रेंचिंग/पिटिंग	क्यू0मी0	1200
	(4) ड्रिलिंग	मी0	600
	ब– माईनिंग एडमिनिस्ट्रेशन		
	(1) भौतिक लक्ष्य	सं0	1000
	(2) राजस्व वसूली	करोड़ रू0	**331**
	स– भू–अभियांत्रिकी कार्य	सं0	800
27	**पर्यावरणी प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना**	उपखनिज क्षेत्रों की सं0	योजना जारी तथा 100 नये खनन क्षेत्र
28	**सर्विलांस योजना**	चिन्हित खनन क्षेत्रों की सं0	योजना जारी
	स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान		
1–	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	प्रशिक्षित	1500
2–	ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान	लाभान्वित	150
3–	हथकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	परिषद सं0	1
	ट्राईबल सब प्लान		
1–	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	प्रशिक्षित	600
2–	कार्डिंग/वीविंग प्लाण्ट का सुदृढ़ीकरण	प्लाण्ट सं0	5
3–	ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान	लाभान्वित	50
4–	ऊन बैंक की स्थापना	बैंक सं0	3
5–	हथकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	परिषद सं0	1

वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान – आयोजनागत

योजना का नामः–लघु उद्योगो की गणना (100% केन्द्र पुरोनिधानित)

लेखाशीर्षकः– 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
102 लघु उद्योग
0101–लघु उद्योंगों की गणना योजना

(धनराशि हजार रू0 में)

कोड संख्या	मद का नाम	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
01	वेतन	0	0	0	0
03	महंगाई भत्ता	0	0	0	0
04	यात्रा व्यय	0	0	0	0
06	अन्य भत्ते	0	0	0	0
07	मानदेय	1	0	0	1
08	कार्यालय व्यय	0	0	0	0
11	लेखन सामग्री/ फार्मों की छपाई	0	0	0	0
12	कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	0	0	0	0
13	टेलीफोन व्यय	0	0	0	0
15	गाड़ियों का अनुरक्षण/पैट्रोल खरीद	0	0	0	0
18	प्रकाशन	0	0	0	0
27	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	0
42	अन्य व्यय	0	0	0	0
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	0	0	0
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण /स्टेशनरी क्रय	0	0	0	0
	योग :–	**1**	**0**	**0**	**1**

उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों का अधिष्ठान
आयोजनेत्तर योजनायें

अनुदान सं023

लेखाशीर्षक 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
102 लघु उद्योग
03 अधिष्ठान व्यय

(धनराशि हजार रू0 में)

कोड संख्या	मद का नाम	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
01	वेतन	106700	106700	89326	106700
03	महंगाई भत्ता	117370	117370	88002	125906
04	यात्रा व्यय	500	500	344	500
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200	200	153	200
06	अन्य भत्ते	11737	11737	10937	11800
07	मानदेय	50	50	22	50
08	कार्यालय व्यय	400	400	378	400
09	विद्युत देय	1000	1000	904	1000
10	जलकर/जल प्रभार	100	100	74	100
11	लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	150	150	125	150
12	कार्यालय फर्नीचर उपकरण	55	55	55	60
13	टेलीफोन व्यय	300	300	229	300
14	गाड़ियों का क्रय	0	0	0	0
15	गाड़ियों का अनुरक्षण/पैट्रोल खरीद	800	800	741	800
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	500	500	450	600
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	50	50	19	100
18	प्रकाशन	50	50	3	50
19	विज्ञापन	100	100	30	120
21	छात्रवृत्तियॉ और छात्र वेतन	20	20	16	25
22	अतिथि व्यय	20	20	20	20
25	लघु निर्माण कार्य	150	150	0	150
26	मशीनें साज–सज्जा/ उपकरण संयत्र	150	150	86	150
27	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2000	2000	1858	2200
29	अनुरक्षण	55	55	55	100
42	अन्य व्यय	50	50	29	50
45	अवकाश यात्रा व्यय	50	50	31	50
46	कम्प्युटर हार्ड वेयर/साफ्टवेयर	50	50	0	50
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण /स्टेशनरी क्रय	100	100	89	100
योग :–		**242707**	**242707**	**193976**	**251731**

स्वीकृत प्राविधान – आयोजनेत्तर

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अधिष्ठान

अनुदान सं0–23

(धनराशि हजार रू0 में)

क0 सं0	योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
		कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**8**
1	**2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग** 00–आयोजनेत्तर 105–खादी ग्रामोद्योग 03–खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता, 20– सहायक अनुदान	50000	50000	50000	20000

राजकीय प्रेस, रूड़की

आयोजनेत्तर पक्ष

अनुदान सं0– 23

लेखाशीर्षक– 2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण
001–निदेशन एवं प्रशासन
03–राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद संख्या	प्राविधान वर्ष 2014–15	जारी स्वीकृति वर्ष 2014–15	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत प्राविधान
01–वेतन	38000	38000	30227	33000
02–मजदूरी	1200	1200	631	1000
03–महॅगाई भत्ता	41000	41000	30871	38940
04–यात्रा ब्यय	75	75	46	75
05–स्थानान्तरण यात्रा ब्यय	20	20	15	1
06–अन्य भत्ते	4180	4180	2972	3630
07–मानदेय	40	40	0	60
08–कार्यालय ब्यय	1700	1700	900	900
09–विद्युत ब्यय	1600	1600	1351	1600
10–जलकर	1	1	0	1
12–कार्यालय फर्नीचर एंव उपकरण	50	50	34	50
13–टेलीफोन पर ब्यय	30	30	14	30
15–गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	110	110	110	110
16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए	50	50	41	50
17–किराया, उपशुल्क	50	50	0	50
25–लघु निर्माण कार्य	1000	1000	445	200

27–चिकित्सा ब्यय प्रतिपूर्ति	800	800	586	700
29–अनुरक्षण	800	800	600	600
31–सामग्री और सम्पूर्ति	53748	53748	14958	40000
45–अवकाश यात्रा ब्यय	5	5	0	5
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर ब्यय	150	150	77	100
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण संबधी स्टेशनरी का क्रय	400	400	303	200
योगः–	**145009**	**145009**	**84181**	**121302**
104–अन्य साधनों से मुद्रण की लागत	0	0	0	0
03–छपाई की लागत	0	0	0	0
42–अन्य व्यय	1600	1600	998	1000
महा योग :–	**146609**	**146609**	**85179**	**122302**

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून

आयोजनेत्तर पक्ष

अनुदान संख्या–23

2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
02–खानों का विनियमन तथा विकास
001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)
03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान

(हजार रूपये में)

मानक मद	प्राविधान वर्ष 2014–15	जारी स्वीकृति वर्ष 2014–15	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत प्राविधान
01–वेतन	26400	26400	22651	29000
02–मजदूरी	1200	1200	1176	2000
03–महंगाई भत्ता	29040	29040	21789	34800
04–यात्रा भत्ता	300	300	249	300
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50	0	60
06–अन्य भत्ते	2904	2904	3432	3300
07–मानदेय	50	50	20	50
08–कार्यालय व्यय	200	200	160	200
09–विघुत देय	400	400	286	400
10–जलकर/जलप्रभार	10	10	0	12
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200	200	158	200
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	200	196	200
13–टेलीफोन पर व्यय	200	200	141	200
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल की खरीद	1000	1000	861	1000
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1000	1000	993	1000
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	700	700	468	700

18–प्रकाशन	300	300	71	300
19–विज्ञापन	300	300	166	300
22–अतिथि व्यय	10	10	8	10
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	100	100	90	100
27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500	500	438	500
29–अनुरक्षण	50	50	0	50
42–अन्य व्यय	1	1	0	01
44–प्रशिक्षण पर व्यय	50	50	0	50
45–अवकाश यात्रा व्यय	50	50	31	50
46–कम्प्यूटर/साफ्टवेयर का क्रय	50	50	45	50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75	75	42	75
योग :–	**65340**	**65340**	**53471**	**74908**
2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग **02–खानों का विनियमन तथा विकास** **102–खनिज खोज** **03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्धन** **16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान**	0	0	0	0
कुल योग(2853)(आयोजनेत्तर):–	**65340**	**65340**	**53471**	**74908**

उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना

आयोजनेत्तर पक्ष

अनुदान सं0– 23

लेखाशीर्षक– 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
102–लघु उद्योग
18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद संख्या	प्राविधान वर्ष 2014–15	जारी स्वीकृति वर्ष 2014–15	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत प्राविधान
01–वेतन	264	264	197	290
02–मजदूरी	70	70	63	70
03–महॅगाई भत्ता	290	290	202	348
04–यात्रा ब्यय	20	20	0	20
05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	10	10	0	10
06–अन्य भत्ते	29	29	27	30
08–कार्यालय ब्यय	30	30	0	30
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	20	20	0	20
12–कार्यालय फर्नीचर एंव उपकरण	20	20	0	20
13–टेलीफोन पर व्यय	20	20	0	20
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल आदि की खरीद	50	50	0	50
26–अनुरक्षण	10	10	0	10
42–अन्य व्यय	20	20	0	20
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10	10	0	10
47–अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20	20	0	20
योग –	**883**	**883**	**489**	**968**

सिडकुल हेतु जॉच आयोग का गठन

स्वीकृत प्राविधान–आयोजनेत्तर

अनुदान संख्या–23 आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रू0 में)

योजना का नाम एवं लेखाशीर्षक	गत वर्ष 2014–15 में व्यय			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
	कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
2	3	4	5	6
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग **26– सिडकुल हेतु जॉच आयोग का गठन** 42– अन्य व्यय	0	0	0	0

मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली

आयोजनेत्तर पक्ष

अनुदान सं0–23

लेखाशीर्षक 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
102 लघु उद्योग
25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद संख्या व मद का नाम	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत प्राविधान
	प्राविधान	स्वीकृति धनराशि	व्यय (13 मार्च, 2015 तक)	
01–वेतन	1650	1650	857	1650
02–मजदूरी	200	200	195	500
03–महॅगाई भत्ता	1815	1815	912	1997
04–यात्रा ब्यय	200	200	12	200
05–स्थानान्तरण यात्रा ब्यय	0	0	0	0
06–अन्य भत्ते	182	182	9	200
07–मानदेय	1	1	0	1
08–कार्यालय ब्यय	500	500	375	450
09–विद्युत व्यय	80	80	50	80
10–जलकर	10	10	0	11
11–लेखन सामग्री	100	100	75	100
12–कार्यालय फर्नीचर एंव उपकरण	40	40	0	40
13–टेलीफोन पर ब्यय	200	200	78	200
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार क्रय	0	0	0	0
15–गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	450	450	255	450

16–व्यवसायिक विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	450	450	193	220
17–किराया, उपशुल्क, कर स्वामित्व	3950	3950	2768	4400
22–अतिथ्य व्यय	100	100	66	100
26–मशीन एवं साज–सज्जा	20	20	0	20
27–चिकित्सा ब्यय प्रतिपूर्ति	75	75	22	75
42–अन्य व्यय	70	70	52	70
44–प्रशिक्षण	1	1	0	1
45–अवकाश यात्रा व्यय	1	1	0	11
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर ब्यय	80	80	79	80
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण संबधी स्टेशनरी का क्रय	200	200	146	150
योगः–	**10375**	**10375**	**6144**	**11006**

अध्याय-5

वर्षः 2015–16

उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड– आउटकम बजट

संगठनात्मक ढांचा

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1851 दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का गठन किये जाने के फलस्वरूप उद्योग से जुड़े विभिन्न विभागीय संगठनों को शासन द्वारा निम्नवत् प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया हैः–

औद्योगिक विकास विभाग		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग	
1–	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून	1–	उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
2–	राजकीय लीथो प्रेस, रूड़की	2–	समस्त जिला उद्योग केन्द्र
3–	सिडकुल/सीडा।	3–	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
4–	सार्वजनिक उद्यम।	4–	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिलप विकास परिषद

उद्योग विभाग का समन्वित बजट अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत व्यवहृत है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त राज्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त की गई हैं। राज्य में उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप पूंजी निवेश में अभिबृद्धि के साथ–साथ रोजगार सृजन में गुणात्मक बृद्धि हुई है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना से परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से राजस्व में बृद्धि हुई है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का अंशदान बढ़कर लगभग एक तिहाई हो गया है।

वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य विकास योजनायें, प्राविधान व परिकल्पित आउटपुट।

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	बजट प्राविधान (लाख में)	परिकल्पित आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित आउटकम	समय सीमा
आयोजनागत पक्ष							
जिला सैक्टर							
1	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	भावी उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु जागरूकता, प्रारम्भिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना।	5.89	प्रारम्भिक प्रशिक्षण– 8000	वर्षान्त तक	उद्योग स्थापना से कुल रू0 2500 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश तथा 35,000 से अधिक को रोजगार।	वर्षान्त तक
2	जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण	जिला उद्योग केन्द्रों में आधुनिक इलैक्ट्रानिक सुविधा, इंटरनेट, औद्योगिक साहित्य, आदि।	-	ऑनलाईन अस्थायी पंजीकरण (ई.एम पार्ट–1) संख्या – 2500	वर्षान्त तक	अस्थायी पंजीकरण (ई.एम. पार्ट–1) संख्या– 2500 तथा उपरोक्त पूंजी निवेश व रोजगार।	वर्षान्त तक
3	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन वित्तपोषित इकाईयों को ब्याज उपादान।	ग्रामीण कुटीर उद्योगों को 4 प्रतिशत से ऊपर ब्याज उपादन सहायता बैंको को प्रतिपूर्ति।	12.00	स्थापित इकाईयां– 550	वर्षान्त तक	रोजगार– 2000	वर्षान्त तक
4	(1) ऊन, तागा बैंक की स्थापना। (2) कार्डिंग/वीविंग प्लाण्टों का सुदृढ़ीकरण	बुनकरों को ऊन की उपलब्धता, स्थानीय ऊन उत्पादकों से प्राप्त ऊन की कार्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।	10.00 12.00	ऊन बैंक– चम्बा, श्रीनगर, अल्मोड़ा–3 (उपकेन्द्र बोर्ड के उत्पादन केन्द्र– 20) (चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के कार्डिंग प्लाण्ट)	वर्षान्त तक	रोजगार–1500	वर्षान्त तक
5	जिला उद्योग केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	जिला उद्योग केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण/मरम्मत, रंगाई, पुताई आदि कार्य	-	जनपदों में स्थापित जिला उद्योग केन्द्रों का रख–रखाव	वर्षान्त तक	जनपदों में स्थापित जि0उ0के0 के भवनों का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव/बाउण्ड्रीवाल निर्माण	वर्षान्त तक

राज्य सैक्टर							
6	(1) लघु उद्योगों की गणना योजना(100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) (2) औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना (3) लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान (4) उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	कर्मचारियों का मानदेय(क्रमांक–1) लम्बित दावे(क्रमांक–2 व 3) संस्थान की स्थापना का कार्य (क्रमांक–4)	0.01 0.01 0.01 0.01	कर्मचारियों का मानदेय, लम्बित दावे तथा उद्यमिता विकास हेतु संस्थान के कार्य आदि।	वर्षान्त तक	कर्मचारियों का मानदेय, लम्बित दावे तथा उद्यमिता विकास हेतु संस्थान के कार्य आदि।	वर्षान्त तक
7	औद्योगिक प्रोत्साहन मेला प्रदर्शनी, गोष्ठी प्रचार–प्रसार	उत्पादित वस्तुओं का प्रचार–प्रसार विपण ान भारत अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान, शरदोत्सव व अन्य औद्योगिक प्रदर्शनी, झांकी, गोष्ठियां, आदि।	200.00	36 से अधि ाक प्रदर्शनीयां तथा औद्योगिक गोष्ठियां	वर्षान्त तक	15 करोड़ से अधिक के उत्पाद की बिक्री तथा उत्पादों का प्रचार।	वर्षान्त तक
8	पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर विकास योजना	क्लस्टर बनाकर छोटे/कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।	10.00	पर्वतीय जनपदों में क्लस्टर स्थापित कर रोजगार सृजन।	वर्षान्त तक	रोजगार–200	वर्षान्त तक
9	(1) उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार। (2) राज्य उद्योग मित्र, उद्यमिता को सहायता। (3) माटी कला प्ररिषद को सहायता (4) एम.एस.एम.ई अवस्थापना विकास निधि **(नई योजना)**	उद्योगों हेतु प्रोत्साहन तथा उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण।	6.00 20.00 5.00 50.00	78 उद्यमियों को पुरस्कार। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन।	वर्षान्त तक	औद्योगिक प्रोत्साहन तथा उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण। क्रमांक–1 के अनुसार पूंजी विनियोजन।	वर्षान्त तक
10	राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन नीति।	पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी निवेश आकर्षित करने, पलायन रोकने हेतु उद्योगों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता व सुविधायें यथा पूंजी निवेश, ब्याज उपादान, विद्युत बिलो में छूट, आदि।	1000.00	लगभग 500 इकाईयों को आर्थिक सहायता।	वर्षान्त तक	लगभग 200 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 5000 व्यक्तियों को रोजगार।	वर्षान्त तक

11	(1)एकीकृत हथकरघा विकास योजना (90 प्रतिशत केन्द्रपोषित)। **केन्द्रांश सहित**	बुनकरों के लिये कॉमन फैसिलिटी सेन्टर, डिजाईन विकास, करघों की आपूर्ति, प्रचार–प्रसार हथकरघा कलस्टर तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता।	-	केन्द्र से बुनकरों के सर्वागीण विकास हेतु कलस्टर एवं स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु रू. 150 लाख से अधिक की आर्थिक सहायता। बुनकरों का बीमा	वर्षान्त तक	3000 बुनकरों को लाभान्वित करना।	वर्षान्त तक
	(2) उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के सर्वागीण विकास का कार्य तथा विकास आयुक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प (भारत सरकार) की योजनाओं का कार्यान्वयन, प्रदर्शनी का आयोजन, आदि।	30.30	राज्य के बुनकरों व शिल्पियों का सर्वागीण विकास कार्य।	वर्षान्त तक	बुनकरों एवं शिल्पियों को भावी उद्योगों के रूप में विकास तथा परम्परागत उद्योगों का पुनर्जीवीकरण।	वर्षान्त तक
	(3) हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना		50.00				
	(4) हस्तशिल्प विकास योजना (75 प्रतिशत केन्द्र पोषित)		-				
	(5) राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम (75 प्रतिशत केन्द्र पोषित)		247.00				
12	(1) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट। (2) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता।	खादी बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का चहुँमुखी विकास, खादी प्रदर्शनी आदि। खादी आयोग के तत्वाधान में प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन।	300.00 50.00	बैंको से पीएमईजीपी योजना के तहत स्वरोजगार, बिक्री की अवशेष देयता तथा खादी व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा व विपणन सहायता।	वर्षान्त तक	रोजगार सृजन– 5500 खादी तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा।	वर्षान्त तक

13	राजकीय प्रेस, रूड़की।	राजकीय गजट, उत्तर पुस्तिकायें, राजकीय प्रोफार्मा, जनरल बजट बुक, आडिट, निर्वाचन सामग्री का प्रकाशन।	25.00	राजकीय प्रकाशन, गजट, उत्तर पुस्तिकायें, निर्वाचन सामग्री, प्रकाशन।	वर्षान्त तक	राजकीय प्रकाशन, गजट, उत्तर पुस्तिकायें, निर्वाचन सामग्री का मुद्रण/प्रकाशन।	वर्षान्त तक
14	**भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।**						
	1–**(अ)** खनिज अन्वेषण खनिजों का विकास	प्रदेश में खनिज भण्डारों का अन्वेषण कर उनका समुचित विकास करते हुये खनिज आधारित उद्योगो की स्थापना	136.40	विभाग में मूलभूत संसाधनों का विकास निर्धारित योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण/स्थापना हेतु मशीनों के क्रय/संचालन व व्यय	वर्षान्त तक	खनिजों के अन्वेषण व विकास के लक्ष्यों की पूर्ति।	वर्षान्त तक
	(ब) खनन प्रशासन	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार उपलब्ध खनिज क्षेत्रों को पट्टे पर दिये जाने से सम्बन्धित विभागीय स्तर पर कार्यावाही करते हुये खनिजों से अपेक्षित राजस्व प्राप्त करना।				खनन प्रशासन कार्यकलापों के अन्तर्गत 1000 प्रकरणों का निस्तारण व खनिजों से रू0 331 करोड़ का राजस्व अर्जन का लक्ष्य।	
	(स) भूअभियांत्रिकीय कार्य	प्रदेश के निर्माणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में भूमि की उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराया जाना।				भूअभियांत्रिकीय योजनाओं के अन्तर्गत 800 प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य।	

	2– पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना	योजना के अन्तर्गत राज्य में उपलब्ध खनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 अध्ययन/ पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कार्य कराया जाना।	496.00	योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यो की पूर्ति, नये खनिज क्षेत्रों में ई0आई0 ए0 अध्ययन/ पर्यावरणीय स्वीकृति, आवंटित खनिज क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य तथा उल्लिखित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु ई0आई0ए0 सेल का गठन।	वर्षान्त तक	पूर्व से संचालित नदी तल के 222 उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 अध्ययन कार्य पूर्ण कराया जाना, 100 नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य।	वर्षान्त तक
	3–खनन सर्विलांस योजना	अवैध खनन/ परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों व निकासी मार्गो में सर्विलांस सिस्टम स्थापित/ संचालित किया जाना।	625.00	जनपद देहरादून के अन्तर्गत संचालित 05 उपखनिज लॉटों व 09 निकासी मार्गो में सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया जाना।	वर्षान्त तक	खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/ परिवहन की रोकथाम किया जाना तथा अपेक्षित राजस्व बृद्धि के लक्षों की प्राप्ति।	वर्षान्त तक
	4–राज्य खनिज विकास परिषद (नई योजना)		100.00				
	कुल योग आयोजनागत (अनुदान सं0–23)		3390.63				

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	प्रस्तावित प्राविधान (लाख में)	परिकल्पित आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित आउटकम	समय सीमा
आयोजनेत्तर पक्ष							
15	(1) उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों का अधिष्ठान व्यय।	उद्योगों में पूंजी निवेश आकर्षित करने तथा उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु स्थापित उद्योग निदेशालय एवं प्रत्येक जनपद में स्थापित जिला उद्योग केन्द्रों के कार्मिकों का अधिष्ठान वेतन।	2517.31	कार्यालय में कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	एक वर्ष	औद्योगिक पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन का कार्य।	एक वर्ष
	(2) उत्तराखण्ड अंतराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना।	जनपद पिथौरागढ़ के ग्रुजी नामक स्थान पर पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को प्रोत्साहन।	9.68	कार्यालय में कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	एक वर्ष	पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा।	एक वर्ष
	(3) मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान।	भारत सरकार का राज्य से पूंजी निवेश तथा अन्य मामलों में समन्वय।	110.06	कार्यालय में कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	एक वर्ष	केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय।	एक वर्ष
	(4) खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता।	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु खादी बोर्ड का अधिष्ठान।	200.00	कार्यालय में कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	एक वर्ष	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों से उपरोक्तानुसार रोजगार।	एक वर्ष
	(5) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग देहरादून अनुदान संख्या–23 मुख्य लेखा शीर्षक 2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 001– निदेशन तथा प्रशासन का अधिष्ठान–आयोजनेत्तर	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का अधिष्ठान के संचालन हेतु आवश्यक व्यय	749.08	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय	एक वर्ष	विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति तथा अपेक्षित राजस्व बृद्धि की प्राप्ति।	एक वर्ष
	(6) लेखन सामग्री तथा मुद्रण।	राजकीय प्रेस, रूड़की का अधिष्ठान।	1223.02	कार्यालय में कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	एक वर्ष	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	एक वर्ष
योग (अनुदान संख्याः 23) आयोजनेत्तरः			**4809.15**				

आउटपुट का संक्षेप
(वर्ष 2015–16)

कुल आयोजनागत आउट ले – रू. 3390.63 लाख
कुल आयोजनेत्तर आउट ले – रू. 4809.15 लाख

वर्ष	बीस सूत्रीय कार्यक्रम में लक्षित उद्योग संख्या	कुल पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)	कुल रोजगार	खनिजों से प्राप्त राजस्व (रू. करोड़ में)	अन्य अपरोक्ष आय
2015–16	2950	500	12000	331	उद्योगों से राजस्व में अपरोक्ष वृद्धि।

आउटकम बजट वर्षः 2014–15

विभाग द्वारा संचालित मुख्य विकास योजनाये, व्यय तथा आउटकम।

(माह फरवरी, 2015 तक)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	व्यय (लाख में)	लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	समय सीमा	आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि	समय सीमा
आयोजनागत पक्ष							
जिला सैक्टर							
1	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	भावी उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु जागरूकता, प्रारम्भिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना।	66.19	प्रारम्भिक प्रशिक्षण– 6947	वार्षिक	कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित–2460 पूंजी निवेश– रू. 497.92 करोड़ रोजगार– 11109	वार्षिक
2	जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण	जिला उद्योग केन्द्रों में आधुनिक इलैक्ट्रानिक सुविधा, इंटरनेट, औद्योगिक साहित्य, आदि।	52.68	ऑनलाईन अस्थायी पंजीकरण (ई.एम पार्ट–1) संख्या – 2330	वार्षिक	अस्थायी पंजीकरण (ई.एम. पार्ट–1) संख्या– 2330 सम्भावित पूंजी निवेश– रू0 1474.23 करोड़ सम्भावित रोजगार–24724	वार्षिक (उद्योगों की स्थापना से)
3	जिला उद्योग केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव	जिला उद्योग केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव	168.06	जनपदों में स्थापित जि0उ0के0 के भवनों का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव / बाउण्ड्रीवाल निर्माण	वार्षिक	जनपदों में स्थापित जि0उ0के0 के भवनों का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव/ बाउण्ड्रीवाल निर्माण	वार्षिक
4	ऊनी, कार्डिंग, वीविंग का सुदृढ़ीकरण	सीमान्त जनपदों में स्थापित कार्डिंग प्लाण्टों का रख रखाव एवं ऊन कार्डिंग कार्य।	8.64	बुनकरों के माध्यम से प्राप्त ऊन कार्डिंग व बुनकरों को प्रशिक्षण।	वार्षिक	बुनकरों को प्रशिक्षित करना।	वार्षिक
5	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन वित्तपोषित इकाईयों को ब्याज उपादान।	ग्रामीण कुटीर उद्योगों को 4 प्रतिशत से ऊपर ब्याज उपादन सहायता बैंको को प्रतिपूर्ति।	197.53	स्थापित इकाईयां– 351	वार्षिक	रोजगार– 1371	वार्षिक

6	ऊन, तागा बैंक की स्थापना।	बुनकरों को ऊन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	24.35	ऊन बैंक– चम्बा, श्रीनगर, अल्मोड़ा–3 (उपकेन्द्र बोर्ड के उत्पादन केन्द्र–20)	वार्षिक	रोजगार–448	वार्षिक
			राज्य सैक्टर				
7	औद्योगिक प्रोत्साहन मेला प्रदर्शनी, गोष्ठी प्रचार–प्रसार	उत्पादित वस्तुओं का प्रचार–प्रसार विपणन भारत अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान, शरदोत्सव व अन्य औद्योगिक प्रदर्शनी, झांकी, गोष्ठियां, आदि।	150.00	30 से अधिक प्रदर्शनीयां।	वार्षिक	10 करोड़ से अधिक के उत्पाद की बिक्री तथा उत्पादों का प्रचार।	वार्षिक
8	(1) उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार। (2) औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन। (3) लघु इकाईयों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान। (4) राज्य उद्योग मित्र, उद्यमिता को सहायता।	उद्योगों हेतु प्रोत्साहन तथा उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण।	46.00	लगभग 78 उद्यमियों को प्रतिवर्ष पुरस्कार देने की कार्यवाही जारी है। जिला स्तर पर आयोजन (35 से अधिक बैठकें) व समस्याओं का निराकरण।	वार्षिक	उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु पुरूष्कार तथा एकल खिड़की में 5200 से अधिक उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण। क्रमांक–1 के अनुसार पूंजी विनियोजन।	वार्षिक
			आयोजनागत				
9	राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु एकीकृत प्रोत्साहन नीति।	पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी निवेश आकर्षित करने, पलायन रोकने हेतु उद्योगों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता व सुविधायें यथा पूंजी निवेश, ब्याज उपादान, विद्युत बिलो में छूट, आदि।	700.00	72 इकाईयों को आर्थिक सहायता।	वार्षिक	1161 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में रू0 117.07 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 3704 व्यक्तियों को रोजगार सृजित।	वार्षिक

10	(1) लघु उद्योगों की गणना योजना (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित)	योजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय।	0.00	लघु उद्यमों की गणना।	वार्षिक	–	वार्षिक
	(2)राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम (75 प्रतिशत केन्द्रपोषित)।	बुनकरों के लिये कॉमन फैसिलिटी सेन्टर, डिजाईन विकास, करघों की आपूर्ति, प्रचार–प्रसार हथकरघा कलस्टर तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता।	0.00	भारत सरकार की सहायता से बुनकरों के सर्वागीण विकास हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।	वार्षिक	वर्षान्त तक लगभग 1800 बुनकरों के लाभान्वित होने की सम्भावना।	वार्षिक
	(3) उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के सर्वागीण विकास का कार्य तथा विकास आयुक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प (भारत सरकार) की योजनाओं का कार्यान्वयन, प्रदर्शनी का आयोजन, आदि।	30.00	धारचूला तथा उत्तरकाशी में क्रमशः ट्राइबल सब प्लान व स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन शो–रूम का निर्माण लगभग पूर्ण। केन्द्र से बुनकरों के सर्वागीण विकास हेतु कलस्टर एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।	वार्षिक	वर्षान्त तक लगभग 1800 बुनकरों को लाभान्वित होने की सम्भावना तथा हथकरघा हस्तशिल्प का विपणन, प्रर्दशनियां व प्रचार।	वार्षिक
11	(1) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट। (2) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता।	खादी बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का चहुँमुखी विकास, खादी प्रदर्शनी आदि। खादी आयोग के तत्वाध ाान में प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन।	300.00	बैंको से पीएमईजीपी योजना के तहत स्वरोजगार, खादी वस्त्रों की बिक्री, श्री गांधी आश्रम व संस्थाओं की देयता।	वार्षिक	कुटीर उद्योगों का विकास, 5000 से अधिक रोजगार सृजन	वार्षिक

12	राजकीय प्रेस, रूड़की।	राजकीय गजट, उत्तर पुस्तिकायें, राजकीय प्रोफार्मा, जनरल बजट बुक, आडिट, निर्वाचन सामग्री का प्रकाशन।	–	राजकीय प्रकाशन, गजट, उत्तर पुस्तिकायें, निर्वाचन सामग्री, प्रकाशन।	वार्षिक	राजकीय प्रकाशन, गजट, उत्तर पुस्तिकायें, निर्वाचन सामग्री का मुद्रण/ प्रकाशन।	वार्षिक
13	**भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून**						
	1–(अ) खनिज अन्वेषण खनिजों का विकास,	प्रदेश में खनिज भण्डारों का अन्वेषण कर उनका समुचित विकास करते हुये खनिज आधारित उद्योगो की स्थापना	9.13	विभाग में मूलभूत संसाधनों का विकास निर्धारित योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण/ स्थापना हेतु मशीनों के क्रय/ संचालन व व्यय	वार्षिक	खनिज अन्वेषण कार्य।	वार्षिक
	(ब) खनन प्रशासन	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्व ारा जारी नियमों के अनुसार उपलब्ध खनिज क्षेत्रों को पट्टे पर दिये जाने से सम्बन्धित विभागीय स्तर पर कार्यावाही करते हुये खनिजों से अपेक्षित राजस्व प्राप्त करना।				खनन प्रशासन कार्यकलापों के अन्तर्गत 2180 प्रकरणों का निस्तारण व खनिजों से रू0 151 करोड़ का राजस्व अर्जन।	
	(स) भूअभियांत्रिकीय कार्य	प्रदेश के निर्माणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में भूमि की उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराया जाना।				भूअभियांत्रिकीय योजनाओं के अन्तर्गत 703 प्रकरणों के निस्तारण।	

	2– पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना	योजना के अन्तर्गत राज्य में उपलब्ध खनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 अध्ययन/ पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कार्य कराया जाना।	–	योजनान्तर्गत राज्य के नदी तल के 222 उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए0 अध्ययन/ पर्यावरणीय स्वीकृति का कार्य कराया जाना।	वार्षिक	130 उपखनिज क्षेत्रों में पर्यावरण्ीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शेष क्षेत्रों में ई0आई0ए0/ पर्यावरणीय स्वीकृति का कार्य प्रगति में है।	वार्षिक
	3–खनन सर्विलांस योजना	अवैध खनन/ परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों व निकासी मार्गो में सर्विलांस सिस्टम स्थापित/ संचालित किया जाना।	–	जनपद देहरादून के अन्तर्गत संचालित 5 उपखनिज लॉटों व 9 निकासी मार्गों में सर्विलॉस सिस्टम स्थापित किया जाना।	वार्षिक	प्रकरण में निविदा की कार्यवाही गतिमान है।	वार्षिक
	कुल योग आयोजनागत (अनुदान संख्या–23):–		**1752.58**				
आयोजनेत्तर पक्ष							
14	**(1)** उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों का अधिष्ठान व्यय।	उद्योगों में पूंजी निवेश आकर्षित करने तथा उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु स्थापित उद्योग निदेशालय एवं प्रत्येक जनपद में स्थापित जिला उद्योग केन्द्रों के कार्मिकों का अधिष्ठान वेतन।	1939.76	कार्यालय में कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	एक वर्ष	औद्योगिक पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन। औद्योगिक वातावरण व उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण।	एक वर्ष
	(2) उत्तराखण्ड अंतराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना।	जनपद पिथौरागढ़ के ग्रुजी नामक स्थान पर पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को प्रोत्साहन।	4.89		एक वर्ष	पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा।	एक वर्ष

	(3) मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान।	भारत सरकार का राज्य से पूंजी निवेश तथा अन्य मामलों में समन्वय।	61.44	,,	एक वर्ष	केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय।	एक वर्ष
	(4) सिडकुल हेतु जांच आयोग का गठन।	सिडकुल जांच आयोग की अवशेष देयता यदि कोई हो।	–	,,	वर्षान्त तक	कार्य जारी।	वर्षान्त तक
	(5) खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता।	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु खादी बोर्ड का अधिष्ठान।	500.00	,,	एक वर्ष	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों से उपरोक्तानुसार रोजगार।	एक वर्ष
	(6) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का अधिष्ठान के संचालन हेतु आवश्यक व्यय	534.71	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय	एक वर्ष	विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति तथा अपेक्षित राजस्व बृद्धि की प्राप्ति।	एक वर्ष
	(7) लेखन सामग्री तथा मुद्रण।	राजकीय प्रेस, रूड़की का अधिष्ठान।	851.79	,,	एक वर्ष	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि।	एक वर्ष
कुल योग आयोजनेत्तर (अनुदान संख्याः 23)			**3892.59**				

आउटकम का संक्षेप।

(वर्ष 2014–15 माह फरवरी, 2015 तक)

कुल आयोजनागत व्यय – रू. 1752.58 लाख

कुल आयोजनेत्तर व्यय– रू. 3892.59 लाख

वर्ष	बीस सूत्रीय कार्यक्रम में लक्षित उद्योग संख्या	स्थापित उद्योग (माह फरवरी, 2015 तक)	कुल पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)	कुल रोजगार	खनिजों से प्राप्त राजस्व (रू. करोड़ में)	अन्य अपरोक्ष आय
2014–15	2665	2460	497.92	11109	151	उद्योगों से राजस्व में वृद्धि

वर्ष 2015–16

औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की रणनीति तथा कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

1. राज्य में औद्योगिक वातावरण को आगे बढ़ाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये भारत सरकार से अपेक्षित सहायता तथा सुविधाओं के लिये निरन्तर प्रयास किया जायेगा।
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में वित्तीय प्रोत्साहन, अवस्थापना सुविधा विकास, संस्थागत सहयोग, विपणन सहायता, हथकरघा–हस्तशिल्प एवं खादी को बढ़ावा दिया जायेगा।
3. नीति में लैण्ड बैंक के माध्यम से 100 नये औद्योगिक आस्थान (पर्वतीय क्षेत्रों में 70 तथा मैदानी क्षेत्रों में 30) बनाये जायेंगे।
4. **उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम–2012** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य–सचिव के रूप में जिलाधिकारी से समन्वय हेतु अधिकृत किया गया है, जिस हेतु वेब बेस्ड साफ्टवेयर एन.आई.सी. के माध्यम से तैयार किया जा रहा है।
5. पारदर्शिता एवं उद्यमियों की सहूलियत को दृष्टिगत रखते हुये राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु **उद्यमिता ज्ञापन भाग–1** एवं **उद्यमिता ज्ञापन भाग–2** फाईल करने की ऑन लाइन व्यवस्था लागू को और प्रभावी बनाया जायेगा।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थापित फार्मा एवं ऑटो क्लस्टर इकाईयों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने के तारतम्य में क्लस्टर विकास योजना का संचालन विभिन्न चरणों में किया जायेगा।
7. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये तथा पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयास जारी किये जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित मिनी औद्योगिक आस्थानों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिये प्रयास किये जायेंगे।
8. उद्योग मित्र का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा इसके अधीन जनपदों में जिला उद्योग केन्द्रों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला उद्योग मित्र की बैठकों का आयोजन प्रभावी रूप से किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठकों का भी समय–समय पर आयोजन किया जायेगा, जिससे उद्यमियों की समस्याओं का निरन्तर निवारण किया जा सके।

9. विभाग द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम शुक्रवार **स्वरोजगार एवं उद्यमिता दिवस** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन जिला उद्योग केन्द्रों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों से जुड़े सभी विभागों/संस्थाओं/बैंकों के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं अपनी–अपनी योजनाओं की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध कराते हुये उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जायेगा।

10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अधिनियम–2006 के अध्याय–5 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में गठित **लघु एवं सूक्ष्म उद्यम सुकरता परिषद नियमावली–2010** को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये आगामी वर्षों में इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लम्बित देयकों से सम्बन्धित वादों का निस्तारण कर उनके हितों की रक्षा किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

11. भारत सरकार द्वारा **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना** का संचालन खादी कमीशन (केवीआईसी) के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है। योजना में लक्ष्य बढ़ाये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार लाभान्वित हो सकें।

स्वरोजगार एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी समन्वय की व्यवस्था की जायेगी।

12. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गो, पर्यटन केन्द्रों में **''हिमाद्रि''** एम्पोरियम स्थापित किये गये हैं तथा अन्य पर्यटक स्थलों पर इनकी स्थापना का कार्य गतिमान है। इन्हें सुदृढ़ करते हुये स्थानीय उत्पादों से निर्मित वस्तुओं, हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन व्यापक स्तर पर किया जायेगा।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ लिया जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार **उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद** के माध्यम से सर्वांगीण विकास हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हथकरघा कलस्टर तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को केन्द्र पोषित **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम** के माध्यम से सर्वांगीण सहायता प्रदान करने हेतु नियमित प्रयास किये जायेंगे।

13. माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के माटी शिल्पियों को विभिन्न प्रकार के मेलों में अपने उत्पादों के विपणन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

14. राज्य के परम्परागत शिल्पों के पुनर्जीवीकरण, विकास एवं उन्नयन हेतु **''हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान''** की स्थापना की गई है। इस संस्थान को परम्परागत शिल्पों के उन्नयन के लिये एक उत्कृष्ठ स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा।

परम्परागत वाद्य यंत्रों, यथाः ढोल–दमाऊ, दैनिक उपयोग की विशिष्ट वस्तुओं, धार्मिक आयोजनों आदि के अवसर पर उपयोग होने वाले प्रतीक चिन्हों, कृषि यंत्रों आदि के निर्माण की विधियों का संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण आदि पर भी कार्य किया जायेगा।

औद्योगिक विकास विभागः

15. राज्य में पूंजी निवेश हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी विभिन्न सहायता व सुविधाएं, राज्य की उदार औद्योगिक नीति, उद्योगो के लिए शांत वातावरण के प्रतिफल स्वरूप देश की औद्योगिक इकाईयों, प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं नये उद्यमियों द्वारा राज्य में समुचित पूंजी निवेश से औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का कार्य किया गया। राज्य में पूंजी निवेश के लिये उद्यमियों की अभिरूचि को देखते हुए राज्य में उत्कृष्ट कोटि के अवस्थापना सुविधाओं से युक्त औद्योगिक आस्थान विकसित किए गए हैं तथा मेगा प्रोजैक्ट स्थापित हैं। निजी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में औद्योगिक आस्थान स्थापित किए गये हैं। राज्य स्तर पर उद्योगों की स्थापना के सतत् प्रयास जारी है। राज्य में स्थापित उद्योगों के आगे सफलतापूर्वक संचालन के लिये उद्यमी संघों के साथ निरन्तर विचार–विमर्श करते हुये आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को रोजगार सृजन की दृष्टि से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक उन्नयन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में लिया जा सकता है। खादी वस्त्रों का अपना विशेष महत्व है, जिनकी बिक्री बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा नियमित प्रयास किये जाते हैं। इसके अलावा परम्परागत बुनकर तथा ऊन उत्पादकों के आर्थिक उत्थान हेतु भी नियमित प्रयास अपेक्षित हैं। अतः ग्रामीण उद्योगों को बैंकों से लिये गये ऋण पर सहायता हेतु ब्याज उपादान सहायता तथा ऊन उपभोगताओं तथा धागा प्रयोग करने वाले बुनकरों को ऊन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ऊन तथा धागा बैंक योजना का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, जिस हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अपेक्षित सहायता प्रदान की जायेंगी।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

1. राज्य में उपलब्ध खनिज भण्डारों की खोज व उनका समुचित विकास किये जाने के दृष्टिगत राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अन्य अन्वेषणकारी संस्थाओं/संगठनों से समन्वय स्थापित कर खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रदेश में उपलब्ध मुख्य खनिजों यथा लाईमस्टोन, सोपस्टोन, सिलिका सेन्ड, मैम्नेसाईट इत्यादि के भण्डारों का अन्वेषण कर उनका मूल्यांकन/गुणवत्ता का निर्धारण करते हुये उनको मानचित्र पर चिन्हित कर तदसम्बन्धी सूचना को उद्यमियों तक पहुचाते हुये प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के क्रम में कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

3. पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत राज्य के नदी तल के ऐसे 222 उपखनिज क्षेत्रों जिनमें निगमों द्वारा खनन कार्य करने में अनिच्छा प्रकट की गयी थी, में ई0आई0ए0 अध्ययन का कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। अद्यतन तक कुल पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कुल 40 उपखनिज क्षेत्रों को खनिज नीति में किये गये प्राविधानानुसार पट्टेधारकों को आवंटित कर दिये गये हैं। शेष क्षेत्रों को पट्टे पर आवंटन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में उपखनिज की बढ़ती मांग तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाये जाने के दृष्टिगत 100 नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित/खोज किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। पर्यावरणीय अध्ययन/ स्वीकृति प्राप्त उपखनिज क्षेत्रों के नियमानुसार पट्टे पर आवंटन के फलस्वरूप उनमें पर्यावरणीय मॉनिटरिंग/अध्ययन हेतु विभागीय स्तर पर ई0आई0ए0 सेल का गठन किया जा रहा है।

4. राज्य के स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराये जाने तथा राज्य के राजस्व बृद्धि के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आगामी वर्ष में उपरोक्तानुसार अधिक से अधिक खनन क्षेत्रों को पट्टे पर आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

5. पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा खनन किये जाने के सम्बन्ध में खनन उद्यमियों तथा श्रमिकों को समुचित जानकारी/तकनीक उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

6. अवैध खनन/परिवहन से बढ़ रही उपखनिज की चोरी की शिकायतों एवं लगातार राजस्व में हो रहे नुकशान को रोकते हुये अपेक्षित राजस्व बृद्धि की प्राप्ति के दृष्टिगत एन्टी माइनिंग सेल का गठन किया गया है। अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु विभागीय स्तर पर संचालित खनन सर्विलांस योजना के अन्तर्गत सर्विलास/अत्याधुनिक उपकरण वर्तमान में

थर्ड पार्टी एसेसमेन्ट के सिद्धान्तों के आधार पर जनपद देहरादून में चालू 05 उपखनिज लॉटों तथा इसके सम्भावित 09 निकासी मार्गो में आधुनिक सर्विलांस स्थापित किये जाने हेतु निविदा की कार्यवाही गतिमान है। आगामी वर्ष में उक्त योजना को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

7. भूअभियांत्रिक कार्यो के अन्तर्गत विभिन्न विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यो के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों में भूमि उपयुक्तता तथा स्थायित्व हेतु तकनीकी परामर्श देने के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में राज्य सरकार तथा भारत सरकार के संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त परियोजनाओं में विभाग की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

राजकीय मुद्रणालय, रूड़की

रूड़की में एक मात्र राजकीय मुद्रणाालय है। मुद्रणालय से गजट का प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण का कार्य किया जाता है। इसमें निम्न कार्य किये जाते हैं:–

- राज्य के समस्त विभागों जैसे सेवायोजन, विधिक माप विज्ञान, व्यापार कर, चिकित्सा, परिवहन विभाग, निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, महालेखाकार, प्रपत्र तथा उनके द्वारा तैयार निर्देश/नीति प्रकाशनों का मुद्रण किया जायेगा।
- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल से सम्बन्धित प्रपत्रों/लिफाफों व फाइल कवर का मुद्रण/सम्पूर्ति की जायेगी।
- मा0 लोक आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन/रिपोर्ट का मुद्रण।
- सचिवालय में प्रयोग होने वाले प्रवेश पत्रों का मुद्रण/सम्पूर्ति एवं उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यवाहियों/प्रतिवेदनों का मुद्रण/सम्पूर्ति तथा शासन द्वारा जारी शासनादेशों का संकलन/पुस्तकों का मुद्रण इस मुद्रणालय से कार्यों का प्रभावी सम्पादन किया जायेगा।